UPSP010088682020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी– श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)यू.पी. 3845
सत्र वाद संख्या 1410/2020

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन।

बनाम

1. इब्राहीम पुत्र बशीर निवासी ग्राम ताताहेडी, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।
2. सबीला पत्नी इब्राहीम निवासी ग्राम ताताहेडी, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।
.... अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्याः– 463/2020
धाराः–376,506,120बी भा0दं0सं0
थानाः गंगोह, जनपद सहारनपुर।

महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनायें

क्रम सं.	तिथि	घटना
1.	अदम तहरीर	घटना की दिनांक
2.	08.08.2020	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत
3.	02.11.2020	आरोप पत्र प्रेषित एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान
4.	19.11.2020	सत्र सुपुर्दगी
5.	27.01.2021	आरोप विरचित
6.	10.06.2024 25.06.2026	बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0
7.	08.06.2026	बहस पूर्ण हुई, निर्णय सुरक्षित।
8.	12.06.2026	निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/त्वरित न्यायालय, सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 463/2020 सरकार बनाम इब्राहीम आदि अन्तर्गत धारा 376,506,120बी भा0दं0सं0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 19.11.2020, सत्र परीक्षण संख्या 1410/2020 में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 19.11.2020 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

उपस्थिति– राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सतीश सैनी।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री अवनीश शर्मा

माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि व्यवस्था **भूपेंद्र वर्मा बनाम हिमाचन प्रदेश राज्य 2003 AIR (SC) 4664** एवं निर्णयज विधि व्यवस्था **निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019(2)SCC 703 एवं 228(क)** भारतीय दंड संहिता के अनुपालन में पीडिता/पीडिता की पहचान गोपनीय रखने के आशय उसके तथा उसके परिवार के सदस्यो नाम का उल्लेख न करके पीडिता को ''पीडिता'' तथा पीडिता के पिता को''पीडिता का पिता'' के रूप में निर्णय में संबोधित किया जाएगा।

निर्णय

1. पुलिस थाना गंगोह, जिला सहारनपुर द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 463/2020** में आरोप पत्र **प्रदर्श क–11 अभियुक्त इब्राहीम** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0** में व अभियुक्ता **सबीला** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा 506 भा0दं0सं0** में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. मुकदमा अपराध संख्या 463/2020 अन्तर्गत धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0 के अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर सिविल जज(सी.डि.)/त्वरित न्यायालय, सहारनपुर द्वारा दिनांक 19.11.2020 को सत्र सुपुर्द किया गया। इस न्यायालय को उपरोक्त सत्रवाद माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि विपक्षीगण इब्राहीम पुत्र बशीर व सबीला पत्नी इब्राहीम निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर। निवासी हाल ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर, पिछले करीब तीन वर्षो से वादी मुकदमा के मकान वाके ग्राम ताताहेडी में बतौर किरायेदार रह रहे थे। करीब एक माह पहले विपक्षी इब्राहीम ने एक पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज सबीला के उसकी पुत्री पीडिता को सबीला उपरोक्त के हाथो उपरोक्त किराये के मकान पर बुलाकर उसकी पुत्री पीडिता को डरा धमका कर तथा चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकियां देकर इब्राहीम ने उसकी पुत्री पीडिता के साथ जबरन बलात्कार किया और विपक्षीगण ने पीडिता को धमकियां दी कि अगर तूने किसी को बताया तो वे तुझे जान से मार देगें, जिसके कारण वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचा है और पीडिता के साथ इस तरह बलात्कार होने के कारण वादी की पुत्री पीडिता जबरदस्त तरीके से डरी हुई है, तथा सहमी हुई है और पीडिता जबरदस्त तरीके से मानसिक रूप से बीमार भी हो गयी है तथा पीडिता तब से ठीक से कुछ खा पी नही रही है तथा गुमसुम है। वादी मुकदमा व उसके परिवार वालो ने पीडिता से पूछा कि उसने इस तरह से अचानक खाना पीना बंद क्यों कर दिया और गुमसुम क्यों है तो वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता ने उपरोक्त घटना के बारे में उसे व उसके परिवार वालो को बताया। विपक्षी सबीला व इब्राहीम ने एक पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत उपरोक्त किराये के मकान में वादी की पुत्री पीडिता को बुलाकर वादी की पुत्री पीडिता के साथ जबरन बलात्कार तथा पीडिता के मानसिक रूप से बीमार हो जाने के रिपोर्ट में देरी है। प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर विपक्षीगण के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

4. वादिया मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना गंगोह, जिला सहारनपुर में दिनांक 08.08.2020 को समय 18:45 बजे **प्राथमिकी प्रदर्श क–3** मुकदमा अपराध संख्या 463/2020 धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0 पंजीकृत करायी गयी, जिसकी प्रविष्टी उसी समय कायमी **जी0डी0 प्रदर्श क–4** में की गई।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर **नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–8** तैयार किया गया तथा बाद विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण इब्राहीम व सबीला** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत **धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0** में **प्रदर्श क–11** न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण इब्राहीम** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत **धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0** व अभियुक्ता **सबीला** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत **धारा 506 भा0दं0सं0 दिनांक 27.01.2021** को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

7. आरोप को साबित करने के लिए **अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य** में औपचारिक गवाहों सहित तथ्यों के निम्नलिखित साक्षीगण को शपथ पर परीक्षित कराया गया–

कम सं0	**साक्षीगण के नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**
1	वादी मुकदमा पीडिता का पिता	पी0डब्लू0 –1
2	पीडिता	पी0डब्लू0 –2

3	पीडिता की भाभी **(X)**	पी0डब्लू0 –3
4	पीडिता की भाभी **(y)**	पी0डब्लू0 –4
5	हैड कांस्टेबल 366 सुशील तोमर	पी0डब्लू0 –5
6	डा0 मनोरमा गोपाल	पी0डब्लू0 –6
7	एस0आई0 विवेक वैधवान	पी0डब्लू0 –7

अभियुक्तगण पक्ष की ओर से अपने कथनो के समर्थन में साक्षी **डी0डब्लू01 महताब** को परीक्षित कराया गया है।

8. मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित **अभिलेखीय साक्ष्य** भी प्रस्तुत किये हैं–

कम सं	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 –1
2	बयान 164सी.आर.पी.सी.	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 –2
3	चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 –5
4	जी0डी0	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 –5
5	मूल मैडिकल	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 –6
6	पैथोलॉजी रिपोर्ट	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0 –6
7	सप्लीमैंट्री रिपोर्ट	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0 –6
8.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0 –7
9.	गिरफ्तारी प्रपत्र इब्राहीम	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0 –7
10.	गिरफ्तारी प्रपत्र सबीला	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0 –7
11.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0 –7

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त **अभियुक्तगण इब्राहीम व सबीला** का बयान **अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0** दिनांक 10.06.2024 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत कहा है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू01 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू02 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत है, झूठा बयान दिया है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू03 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत है, झूठी गवाही दी है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू04 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत है, झूठी गवाही दी है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू05 के बयान के संबंध में कथन किया है कि बयान गलत है। अभियुक्तगण ने साक्षी पी0डब्लू06 के बयान के संबंध में कथन किया है कि औपचारिक साक्ष्य है। अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा दी गयी गवाही को गलत बताया, मुकदमा गलत चलना कहा तथा अभियुक्तगण ने सफाई देने का कथन किया तथा अपने विशेष कथन में कहा है कि मकान खरीदा था, वादी इकराम से बैनामा नही कराया था। पैसा दे दिया था, मकान खाली कराने का झूठा मुकदमा किया।

10. अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313द.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी पी0डब्लू07 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र दिया है। साक्षी गलत गवाही देते है, मुकदमा झूठा चला

है, सफाई देने से इन्कार किया। अभियुक्तगण ने अपने विशेष कथन में कहा है कि अभियुक्तगण ने अपने मकान का बैनामा वादी मुकदमा से नही कराया था, लेकिन पैसा पूर अदा कर दिया था तथा निर्माण कर रहा था। वादी ने मकान पर कब्जा करने की नियत से झूठा मुकदमा लिखाया है।

11. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया।

12. अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समस्त अभियोजन साक्षीगण एवं प्रपत्र अभियोजन कथानक का समर्थन करते है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण इब्राहीम व सबीला को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

13. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं हो पाया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

14. विधि व्यवस्था–**भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 इलाहाबाद केसेस सु0को0 1** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि–अभियोजन को अपने साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उसे बचावपक्ष के कमियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। विधि व्यवस्था–**लतेश उर्फ दादू बाबूराव कारलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018(1) सुप्रीम 524** में कहा है कि–The reasonableness of a doubt must be a practical one and not on an abstract theoretical hypothesis. Reasonableness is a virtue that forms as a mean between excessive caution and excessive indifference to a doubt. इसी प्रकार विधि व्यवस्था–**नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम 482** में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाता। विधि व्यवस्थाः– **सुरेशचन्द्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017 (68) SCALE 697** में कहा है कि– "...it is not every doubt but only reasonable doubt of which benefit can be given to the accused... which is the doubt which rational thinking man would reasonably, honestly and conscientiously entertain and not the doubt of a vacillating mind that has no moral courage and prefers to take shelter itself in a vain and idle Scepticism." विधि व्यवस्था–**जैकाम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. 289 सुप्रीम कोर्ट** में कहा है कि burden lies on the prosecution to prove the allegations beyond reasonable doubt. Accused has only to create a doubt about the prosecution case and the probability of defence. An accused is not required to establish or prove his defence beyond reasonable doubt, unlike the prosecution.

15. अभियोजन को युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि दिनांक, समय अज्ञात स्थान ग्राम तातहेडी, थाना गंगोह, जिला सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त इब्राहीम के द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत अभियुक्त सबीला के हाथो किराये के मकान पर बुलाकर उसको डरा धमका कर चाकू की नौक पर जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया एवं जान से मारने की धमकी दी।

16. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु जो साक्षी परीक्षित कराये गये है, उनकी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

17. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा पीडिता का पिता** ने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "मैं हाजिर अदालत मुलजिम इब्राहीम को जानता हूं तथा इब्राहीम की पत्नी सबीला को भी जानता हूं। ये दौलतपुर के रहने वाले थे। घटना से तीन साल पहले इब्राहीम मेरे मकान में किराये पर

रहने के लिए आये थे। इब्राहीम अपने परिवार के साथ हमारे बराबर वाले मकान में जो मैने किराये पर दिया था, रहने लगे। अब से करीब सवा साल पहले की घटना है। इब्राहीम की पत्नी सबीला मेरी लडकी पीडिता को बुलाकर जिस मकान में रहते थे उसमें ले गयी, फिर इब्राहीम ने मेरी लडकी पीडिता के साथ चाकू से डरा धमका कर जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरी लडकी को डराया व धमकाया कि बलात्कार वाली बात किसी को नही बताना और बताने पर जान से मार देगे। बलात्कार की घटना के बाद मेरी लडकी कुछ खा–पी नही रही थी और डरी सहमी थी और बीमार हो गयी थी और दीमागी सन्तुलन सही नही रहा। मेरे साथ मेरे बेटो की दोनो पत्नियों के सामने हमारे द्वारा पूछने पर मेरी लडकी पीडिता ने बताया कि करीब एक माह पहले सबीला मुझे बुलाकर अपने घर ले गयी थी और इब्राहीम ने चाकू से डरा धमका कर मेरे साथ बलात्कार किया। इसी वजह से मेरी मानसिक स्थिति खराब हुई। घटना के संबंध में मैने एक तहरीर शमीम निवासी ताताहेडी से बोल–बोल कर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 08.08.2020 को थाने पर दी थी। घटनास्थल मैने पुलिस को दिखा दिया था। संबंधित पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था। कागज संख्या 4/3 असल तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।"

18. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "हम दो भाई है। मेरे दुसरे भाई जिन्दा भी अपने मकान में इसी गांव में निवास करते है। इस वर्ष हमारे गांव का कोई हरिजन व्यक्ति प्रधान है। मुझे नाम याद नही। इससे पूर्व योजना में इकराम प्रधान थे। मुझे याद है कि इकराम प्रधान के कार्यकाल में गरीब लोगो के सरकारी खर्चे पर शौचालय बनाकर दिये थे। मुझे भी इकराम प्रधान ने शौचालय बनाकर दिया था। इन दोनो पति–पत्नी इब्राहीम व सबीला को शौचालय बनाकर दिये थे। शौचालय बनाकर देने वाली बात लगभग दो साल पुरानी है। मैं बिरादरी से मुलजिम गुर्जर हूं और मुलजिम भी मेरी बिरादरी से है। इस गांव में आने से पहले मुलजिमान दौलतपुर रहते थे। उससे पहले कहां रहते थे मुझे नही मालूम। मुलजिमान से मेरी भावज रईसा की दूर की रिश्तेदारी है। अरशद पुत्र सुलेमान निवासी गढीमियां को मैं नही जानता। वैसे मेरे भाई–भावज की दूर की रिश्तेदारी है। यह सही है कि आबिद पुत्र सुलेमान मेरे भाई जिन्दा के साले का लडका है। यह भी सही है कि इब्राहीम मुलजिम अरशद का सगा साला है। मुलजिमान मेरे यहां चार साल से किरायेदार है। मुलजिमान मेरे मकान में तीस हजार रूपये सालाना के किरायेदार है। इस करायेदारी की बाबत कोई लिखत पढत कभी नही हुई। कोई रसीद इत्यादि भी नही बनायी गयी। किराये पर अब भी बादस्तूर रह रहे है। किराया नही ले रहा हूं, एक साल से किराया नही दे रहे है। मैने किराया लेने के लिए नोटिस दिया है। इस संबंध में मैने एक मुकदमा भी किया हुआ है। नोटिस देने की तारीख मुझे याद नही है। अज खुद कहा कोरोना से पहले दिया था। ये सही है कि कोरोना संक्रमण मार्च 2020 से पहले शुरू हुआ था। मैने किराये का नोटिस साल भर पहले दिया था। यह कहना गलत है कि कथित घटना से पहले 12 वर्ष पूर्व जिस स्थान को मैं किराये पर देना बताता हूं वह मुलजिमान को 80 हजार रूपये में बेच दी थी। यह कहना भी गलत है कि भाई बिरादरी की वजह से इब्राहीम के हक में बैनामा ना कराया हो। इब्राहीम को जो सम्पत्ति दी हुई है वह उसका रकबा तीन बिस्से है। उस पर मकान बने हुए है। यह कहना गलत है कि इब्राहीम के मकान बनाये हुए हो और मकान बनाने के संबंध में मैं गलत बयानी कर रहा हूं। मैने सरकारी कोटे में बनने वाले शौचालय की बाबत इब्राहीम के संबंध में प्रधान से शिकायत की थी, लेकिन उन्होनें कहा कि गरीब आदमी है, बनने दो। जब सब चले गये प्रधान जी को मैने लिखित में कोई शिकायत नही की थी। यह भी सही है कि तारीख व दिन याद नही। यह कहना गलत है कि इस संबंध में मैने कानूनी मशवरे से गलत बयानी की हो और इब्राहीम के मालिक होने के कारण ही शौचालाय बनाने की सुविधा दी गयी हो। मुझे घटना की सूचना एक महीने बाद मिली थी। मुझे मेरी लडकी ने ही बताया था। लडकी के बताने के बाद दोपहर के बाद हम थाने रिपोर्ट को गये थे। मैं और मेरी लडकी मेरे साथ थी। हम दो–ढाई बजे थाने पहुंच गये थे। थाने पर पुलिस वाले मिले थे। वहीं थाने पर ही रिपोर्ट लिखकर दी थी। फिर दो दिन बाद पुलिस मेरी लडकी को डाक्टरी के लिए ले गयी थी। डाक्टरी के समय भी मैं अपनी लडकी के साथ था। मेरी लडकी की मानसिक बीमारी का कहीं कोई इलाज नही चला। डाक्टरी वाले

दिन हम लगभग तीन साढे तीन बजे घर लौटकर आ गये थे। रिपोर्ट लिखाने के बाद से मेरी बेटी मेरे ही घर रह रही है। मेरे परिवार में मेरे दो बेटो की बहुएं भी साथ रहती है। मेरे भाई की पत्नी पडौस में ही अलग बगड में रहती है। रिपोर्ट लिखाने तक इस घटना के संबंध में मेरी बहुओ से बात चीत हुई। रिपोर्ट लिखाने के समय दो घंटे पहले बहुओ से बात हुई थी। खुद कहा कि रिपोर्ट लिखाने से एक दिन पहले बहु ने मुझे शाम को बताया। आसिफ ने मुझे नही बताया। वह घर पर नही था। रिपोर्ट लिखाने से पहले मैने अपने पुत्रो से कोई सलाह मशवरा नही किया। इस घटना की जानकारी के बाद में मुलजिम के घर नही गया ना ही मैने बिरादरी इकट्ठी की और ना ही चार लोगो को बुलाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज में पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र का मतलब में समझता हूं। इसका मतलब पहले से योजना बनाकर कार्य करने से है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वाले दिन ही पुलिस ने मेरा बयान लिया था। बेटी का बयान उस दिन भी हुआ और अगले दिन भी हुआ। पुलिस को मैने एक दिन पहले बहु के द्वारा घटना की बाबत बताने वाली बात नही बतायी थी। पुलिस को मैने पीडिता की जबरदस्ती तरीके से मानसिक रूप से बीमार होने वाली बात नही बतायी थी। मैने यह बात खुद पुलिस को लिखकर रिपोर्ट में दी थी। यदि मेरे 161द.प्र.सं. बयान में ऐसा लिखा हो तो मैं इसकी वजह नही बता सकता। पुलिस को मैने मौका मायना कराया था जो कि रिपोर्ट के अगले दिन कराया था। मैने विवेचक को मकान दिखा दिया था। मकान में अन्दर क्या बना है, ना दिखाया ना बताया। मैने पुलिस को मुलजिम की किरायेदारी के संबंध में कोई प्रपत्र उपलब्ध नही कराया। मौका मायना कराते समय मैं अपने घर से अकेला था कोई ओर नही था। मेरे दो लडके तीन लडकियां है। पीडिता मेरी सबसे छोटी लडकी है। मेरी दूसरी लडकियो की शादी हो चुकी है। पीडिता से बडा लडका मुबारिक है जो इससे लगभग 5–6 साल बडा है। परिवार रजिस्टर की नकल में इस लडकी का नाम दर्ज है। गंगोह नगरपालिका के रिकार्ड में नाम दर्ज नही है। पीडिता अनपढ है। पीडिता के जन्म का कोई प्रमाण पत्र मेरे पास नही है। पीडिता की जो उम्र मैने बतायी थी वो अन्दाजे से बतायी थी। खुद कहा कि आधार कार्ड के आधार पर बतायी थी। वैसे पीडिता का वोट बना हुआ है जो हाल चुनाव में बना है। पीडिता से बडे लडके का कोई जन्म प्रमाण पत्र नही है। यह सही है कि मेरे पास किसी भी बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र नही है। यह कहना गलत है कि मेरी लडकी पीडिता 21–22 वर्ष की रही हो। यह सही है कि पीडिता का सबीला के पास आना जाना था। यह भी सही है कि मेरी बहुए भी सबीला के यहां चली जाती थी। मेरी बहुएं लडकी की घटना की जानकारी के बाद मुलजिमान के घर गयी थी। खुद कहा लडने नही गयी थी। मेरी बहुए मुलजिमान के घर रिपोर्ट से एक दिन पहले गयी थी। मैने बहुएं का मुलजिमान के घर जाने वाली बात रिपोर्ट में नही लिखायी थी। खुद कहा कि ये कोई बडी बात नही है। मैने अपनी लडकी को उसकी बीमारी के दौरन गांव के ही डाक्टर से ही दवाई दिलवायी थी। डाक्टर का नाम ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी कथित घटना के बाद कभी बीमार ना रही हो और इस संबंध में कोई गलत बयानी की हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी लडकी के साथ ऐसी कोई घटना घटित ना हुई हो और इब्राहीम और सबीला के हक में बैनामा ना करना पडे इस कारण सलाह मशवरा करके ऐसी झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी।**"**

19. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 2 पीडिता** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि **"**मैं इब्राहीम को जानती हूं। घटना अब से करीब डेढ साल पहले की है। सबीला मुझे हमारे घर से अपने घर बुलाकर ले गयी थी। जब सबीला मुझे अपने घर बुलाकर ले गयी थी, वहां पर इब्राहीम पहले से ही मौजूद था। सबीला ने इब्राहीम को मेरे साथ बलात्कार करने के लिए कहा तथा सबीला ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा कि अपने घर मत बताना, फिर इब्राहीम ने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर मैने इनके घर से आकर अपनी भाभी को अपने साथ घटी घटना को जिसमें इब्राहीम ने मेरे साथ बलात्कार किया, अपनी भाभी को बताया और परिवार में भाभी द्वारा जानकारी देने पर मेरे अब्बू ने रिपोर्ट लिखायी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मेरा मैडिकल भी कराया था और मैडिकल के बाद न्यायालय में बयान 164सी.आर.पी.सी. भी हुआ था। न्यायालय की अनुमति से एक सीलबंद लिफाफा बयान 164सी.आर.पी.सी. खोला गया उसमें बयान 164सी.आर.पी.सी. के अलाव 6 अन्य प्रपत्र निकले जिसमें एक फिलाफा भी शामिल है। बयान 164सी.आर.पी.सी. पर गवाह ने अपनी फोटो व निशानी अंगूठा शिनाख्त किया। सुनकर

कहा यही मैने बयान दिया था। बयान 164सी.आर.पी.सी. पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।"

20. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "मैं पढी लिखी नहीं हूं। मै दिन, महीने, साल भी नही जानती। मैं अपनी जन्मतिथि नही बता सकती। मै। साढे अठारह साल का मतलब समझती हूं। इसका मतलब बीस साल होता है। मुझे ध्यान नही मैं किस बिरादरी से हूं। मैं मुलजिमान को जानती हूं। मैं मुलजिमान को जब से मेरा बलात्कार हुआ था तब से जानती हूं। बलात्कार की घटना से पहले से नही जानती। मुलजिमान आपस में पति पत्नी है। यह दोनो हमारे गांव तातहेडी में रहते है। हमारी कोई रिश्तेदारी इनसे नही है। मुलजिमान का घर हमारे घर के नजदीक है, बीच में दीवार है। मुझे याद नही है कि हमारे गांव में कब मकान बनाया। मुझे दिशाओ का ज्ञान नही है। मुलजिमान के मकान के एक तरफ हमारा घर है, एक तरफ सडक है, बाकी की तरफ हमारे खेत है। हमारे घर में मेरे पिता जी चार मेरे भाई व तीन भाभियां है। मेरी मां नही है। हमारे परिवार में सब एक साथ रहते है। मुलजिमान के कितने बच्चे है मुझे नही पता। यह कहना गलत है कि मुलजिमान बाल बच्चेदार थे और इस वजह से मैं गलत बयानी कर रही हूं। मुलजिमान के सामने जो सडक है उसकी दूसरी तरफ शमशान की भूमि है। हमारे मकान के सामने है और हमारे मकान के, मुस्तकीम व मुबारक के मकान है। मुझे नहीं पता कि मुलजिमान ने मेरे पिता से जमीन खरीद कर मकान बनाये थे। मुझे जानकारी नही है कि पैसे लेने व मकान बनाने के बावजूद बैनामा ना होने के कारण मेरे पिता व मुलजिमान के बीच कहन सुनन होकर पंचायते चल रही थी, जिस दिन की यह घटना है उस दिन मेरे घ ार पर मेरे भाई व मेरी भाभियां नही थी और मेरे पिता भी गांव में गये हुये थे। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। घटना की बाबत पुलिस ने मेरा बयान गंगोह थाने पर लिया था। मुझे याद नही मेरा बयान पुलिस ने कब लिया था। एक महीने पहले... मुझे और कुछ नही कहना। इस घटना के संबंध में मेरा मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान हुआ था। बयान किया कि....भाभी उनके घर लडने भी गयी थी। घटना की बाबत मेरी डाक्टरी भी हुई थी। डाक्टर ने मेरे से कोई पूछ–ताछ नही की। डाक्टर ने मेरे बारे में यह बयान कि सबीला हमारे घर आयी और काम का बहाना करके मुझे अपने घर ले गयी थी। सबीला के पति ने मेरे साथ बुरा काम किया तथा सबीला ने मुझे चाय पिलाई थी और में वहां अर्द्ध बेहोशी की वजह से रही। मुझे याद नही कि सबीला ने मुझे किस काम के लिए बुलाया था। अज खुद कहा कुछ काम है, कहकर घ ार से आयी थी। मैने सबीला के घर जाकर काम की बाबत नही पूछा था, किस काम की वजह से गयी थी। सबीला हमारे घर देपहर के समय आयी थी, समय का मुझे पता नही। सबीला हमारे घर पर नही आयी थी, रास्ते से बुलाकर ले गयी थी। मैं घर पर किसी को बताकर नही गयी थी। घर खुला छोडकर चली गयी थी। सबीला के घर हम कितने बजे पहुंचे समय याद नही। इस घटना से पहले मैं कभी सबीला के घर नही गयी। घटना से पहले सबीला हमारे घर आती जाती रहती थी। सबीला के पति व बच्चे भी हमारे घर आते जाते रहते थे। मैने घर आकर घटना की बाबत अपनी भाभी को बताया था। उस समय घर पर मेरा भाई भी था। जब मैं लौटकर आयी तब क्या समय रहा होगा। मेरे घ्यान नही उस समय दिन का उजाला था। रोशनी खूब थी। सबीला के घर मैं आधा घंटा रही थी। आधा घंटा के दौरान इनके घर कौन–कौन आया मुझे जानकारी नही है। सबीला के घर में बाहरी गेट नही लगा था। सबीला के मकान में देा कमरे है, लैट्रीन, बाथरूम बना है। बरामदा है, जो कमरे मैने बताये है उनमें दरवाजे लगे है, खिडकियां नही है। मैने पुलिस को मौका मायना बताया था। मैने पुलिस को बयान में गेट नही होना दिखा दिया था। चौखट से मेरा मतलब गेट से है। कमरो में खिडकियां नही है। पुलिस को दिखा दिया था। यदि पुलिस ने मौके पर लोहे का गेट कमरे से खिडकियां दिखा दी तो मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती। जैसे ही मैं इनके मकान के अन्दर घुसी तो तभी मुलजिम ने मेरे साथ वैसी हरकत की थी। मैने शोर मचाया था। मैने मुलजिम को मारपीट नही किया था ना ही उसके कपडे फाडे थे। मुलजिम ने मेरे साथ मारपीट नही की थी, केवल धमकी दी थी। मुलजिम ने मेरे कपडे फाड दिये थे और धमकी दी थी कि घर पर बताया तो जान से मार दूंगा। कपडे फाडने पर मैं निवस्त्र हो गयी थी। मैं नंगी हो गयी थी। मेरे विरोध करने पर मेरे शरीर पर खरोंच व नील के निशन पड गये थे। मेरे कमर में कंधो पर खून निकला था। मेरे कपडे खून से सन गये थे। मैने उस दिन सलवार कमीज पहन रखा था, रंग मेरे याद

नही। सलवार कमीज के अलावा अन्डर गारमेंट नही पहन रखे थे। जब इब्राहीम मुलजिम मेरे साथ बुरा काम कर रहा था तो सबीला वही मौके पर खडी थी। उसके बच्चे बराबर वाले कमरे में थे। इनके कितने बच्चे है मुझे पता नही है। उसे बुरा काम करने में पोन घंटे का समय लगा था। मैं मौके पर बेहोश हो गयी थी। मुझे कब होश आया मुझे पता नही। जब मुझे होश आया मैं अपने घर पर थी। मेरे इर्द गिर्द मेरी भाभियां व घर के लोग खडे थे। मुझे ध्यान नही मेरे पिता वहां खडे थे या नही। मुलजिम ने मेरे साथ बुरा काम किया था। यह बुरा काम मेरे साथ पहली बार हुआ था। तब मेरे घर के लोग मुझे गांव के ही डाक्टर के पास दिखायी थी। जब डाक्टर के पास गये तब शाम हो चुकी थी। मेरी भाभियां मेरे साथ थी। डाक्टर का नाम मुझे याद नही। लेकिन वह पुराना डाक्टर है, फिर अगले दिन दोपहर में पुलिस में गये थे। थाने में मैं व मेरा अब्बू गये थे। वहां हम आधा घंटा रूके थे। वहां जो जो मेरे साथ हुआ था पुलिस को बता दिया था। पुलिस मुझे सरकारी अस्पताल सहारनपुर डाक्टरी के लिये लायी थी। मैं व मेरे पिता थाना गये थे तभी हमने रिपोर्ट लिखवायी थी। घटना के बाद मेरी भाभी उनके घर लडने गयी थी, उसे नही पता। मेरे बयान 164सी.आर.पी.सी. मेरी भाभी से लडाई करने की बात लिखी है, मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती। इस बाबत गांव में बिरादरी इकट्ठा नही, कोई पंचायत नही की थी। मेरे घर पुलिस आयी थी। मैने पुलिस को अपने बयान में मुलजिम के घर में घुसते ही उनके द्वारा अन्दर खीचने वाली बात बतायी थी। यदि यह बयान में नही लिखा है तो मैं इसकी वजह नही बता सकती। मेरे कपडे फट गये थे, मुझे नंगा कर दिया था। पुलिस को बता दिया था। मैने यह बात मेरे कपडे फट गये थे मुझे नंगा कर दिया था मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया था। यदि मेरे बयान 161द.प्र.सं. व 164सी.आर.पी.सी. में ना लिखा हो मैं इसकी वजह नही बता सकती। मुझे शरीर पर चोटे आयी थी। खरोंच व नीलगू निशान आये थे। मैने डाक्टर को दिखा दी थी। मैने प्राईवेट डाक्टर को जो गांव का है व सरकारी डाक्टर दोनो को यह चोटे दिखा दी थी। गांव के जिस डाक्टर से इलाज कराया था, पर्चा बना था याद नही रहा।...मुझे घिसटने से जो चोटे आयी थी वो डाक्टर को दिखा दी थी। मैने अपने पहने हुए कपडे पुलिस को नही दिये थे ना ही पुलिस वालो ने मांगे थे। जब मुझे गांव के डाक्टर के पास ले गये थे तब मुझे सुधी आ गयी थी। चेहरे पर मेरे कोई निशान नही था। नक्शा बनाते समय सबीला जहां खडी थी, बयान मैने पुलिस को बता दिया था, दिखा दिया था। यदि नक्शो में ऐसा ना दिखाया तो मैं इसकी वजह नही बता सकती। मैने अपने होश में आने वाली बात अपने घर वालो को बता दी थी, पुलिस को बता दी थी। यदि मेरे बयान में नही लिखा है तो मैं इसकी वजह नही बता सती। मेरे पिता व मुलजिम इब्राहीम के बीच मकान खाली कराने को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है, मुझे इसकी जानकारी नही।

प्रश्न– यदि मुलजिमान हमारे मकान छोडकर चले जाते तो मुकदमा छोड सकती?

उत्तर–मुझे इसकी जानकारी नही।

यह कहना गलत है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना घटी हो और मकान खाली कराने की वजह को लेकर पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। इस मुकदमे को लेकर हमारे घर पर कभी कोई चर्चा नही होती। यह कहना गलत है कि हमारे घर पर यह चार्चा होती हो कि इतना बडा मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी मकान खाली नही किया। मैने घर खुला छोडकर सबीला के साथ जाने वाली बात पुलिस को बता दी थी। यह कहना गलत है कि मैने अपने घर वालो के दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।"

21. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 3 पीडिता की भाभी (X)**ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "मैं इस मामले की पीडिता को जानती हूं जो मेरी ननद है। मैं मुलजिम इब्राहीम व सबीला को भी जानती हूं। मुलजिमा सबीला मुलजिम इब्राहीम की पत्नी है। मुलजिमान हमारे मकान में जो बराबर में है किराये पर रहते है। घटना करीब अब से दो साल पहले की व समय दोपहर के करीब एक बजे का है। अभियुक्ता सबीला मेरी ननद पीडिता को अपने घर बुलाकर ले गयी थी, काफी समय बाद पीडिता घर पर लोटकर आयी तो वह डरी सहमी सी थी और वह चल भी नही पा रही थी। मैं तथा मेरी जेठानी पीडिता की भाभी (X)घर पर नही थी। मैने उसकी हरकत देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ है तब पीडिता रोने लगी उसने रोकर बताया कि सबीला मुझे घर से बुलाकर अपने घर ले गयी थी। वहां पर अभियुक्त

इब्राहीम पहले से ही मौजूद था उसने मुझे डरा धमका कर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है और मुझे छुरी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने यह भी बताया था कि जब बलात्कार हो रहा था तो वहां पर सबीला भी मौजूद थी और उसने मेरा मुंह दबा रखा था ताकि मैं चिल्ला ना सकू फिर मैं सबीला को यह कहने कि तुमने मेरी ननद के साथ ऐसा क्यों किया तो वह मेरे साथ झगडे पर उतारू हो गयी। मैने घटना के बारे में इसलिए किसी को नही बताया था ताकि झगडा ना हो सके। पीडिता घर पर गुमसुम रहने लगी तब मेरे पति व ससुर के दबाव देने पर पीडिता ने सारा वाका मेरे ससुर व परिवार वालो को बताया तब मेरे ससुर ने रिपोर्ट थाना गंगोह में दर्ज करया था।"

22. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "जिस दिन की मैने घटना बताई है उसके एक महीने बाद पीडिता ने अपने पिता व भाई को यह घटना वाली बात बतायी थी तथा उसके पिता पीडिता को लेकर थाने गये थे, जिस दिन मेरी ननद को सबीला बुलाकर ले गयी थी वह करीब पौन घन्टे बाद वापस आ गयी थी, जब सबीला, पीडिता को बुलाने आयी थी तब घर मैं व जेठानी पीडिता की भाभी (y) थे। मेरे पति व जेठ उस समय काम पर गये थे। ससुर घर पर ही थे। उस समय दवाई लेने गये थे। मुझे ध्यान नही है मेरे ससुर दवाई लेकर किस समय आये। पीडिता के आने के बाद आ गये थे। लेकिन समय मेरे ध्यान नही है। पीडिता के बताने पर मैं व मेरी जेठानी मुलजिमान के घर थे। लगभग दो–तीन बजे का समय रहा होगा। इब्राहीम व सबीला घर पर ही मिले थे। मेरी व मेरी जेठानी का मुलजिमान के साथ काफी कहा सुनी व झगडा हुआ था। काफी लोग इकटठा नही हुये थे। मौहल्ले पडोस के दो–चार लोग आग गये थे। मेरी ताई व चार–पांच अन्य लोग थे, जो लोग आये थे वे गांव के ही झगडा इसी बात को लेकर हुआ था। दोनो पति पत्नि ने मेरी ननद के साथ बुरा काम किया था। आधा घंटे करीब झगडा हुआ था। हम कहन सुनन कर घर वापस आ गये थे। जब मेरी ननद घर आयी बेहोश नही थी जब हमारा मुलजिमान से झगडा हो राह था मेरे ससुर नही आये थे। हमारे घर पहुंचने के पांच–सात मिनट बाद आये थे, जब पीडिता घर पर आयी थी मैने उसकी चोटे नही देखी थी लेकिन वह ठीक से चल फिर नही रही थी। मैने उसके शरीर पर कहीं भी खून खराबा नही देखा था। मेरे ससुर मेरी ननद, पीडिता को डाक्टर के पास नही ले गये थे क्योंकि हमने उन्हें कुछ नही बताया था। अगर कोई व्यक्ति पीडिता को उस समय गांव के डाक्टर के पास ले जाने की बात कहता है तो वह झूठा बोलता है। पीडिता ने मुझसे अपने साथ हुई घटना के बारे में हम दोनो भाभियो को बता दिया था, लेकिन मैने व मेरी जेठानी ने इस बाबत अपने पति लोगो व ससुर को नही बताया था। जब एक महीने तक पीडिता ने खाना–पीना छोड दिया तब सभी घर वालो के कहने पर पीडिता ने इस घटना के बारे में बताया था। तब भी मेरे पति व जेठ थाने नही गये थे ना ही मैं थाने गयी ना ही मेरी जेठानी थाने गयी। मुलजिमान से किराया मेरे ससुर लेते है। मैं नही लेती। यह लोग चार–पांच साल से हमारे किरायेदार है। यह कहना गलत है कि मुलजिमान हमारे किरायेदार ना हो और इन्होने यह मकान हमारे ससुर से खरीद रखा हो। यह कहना भी गलत है कि बैनाम ना हुआ हो पैसो का लेन–देन हो गया हो। मैने अपने पति व ससुर को केवल झगडे की वजह से यह बात नही बतायी। मुलजिमा सबीला का हमारे यहां आना जाना था। मैं व मेरी जेठानी कभी कभाक इनके यहां चले आते थे। हमारा मकान जंगल में है। यह कहना गलत है कि हमारा मकान जंगल में ना हो, गांव की बसावट में हो। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। इस घटना के 20–22 दिन बाद घर पर ही मेरा बयान हुआ था। मुझे ध्यान नही है कि मैने पुलिस को अपने व जेठानी के मुलजिमान के घर जाकर लडने वाली बात बतायी या नही। मेरे मकान के बराबर में मेरे ताया ससुर का भी घर है। मेरे घर के सामने मुस्तकीम व मुबारिक के मकान है, जब मैं व मेरी जेठानी व मुबारिक के घर से वहां कोई नही आया। मुलजिमान के मकान में कोई गेट प्रवेश का नही है। मैने दरोगा जी को मौका मायना करा दिया था। मुलजिमान के मकान में कोई खिडकियां भी नही है। यदि कोई यह कहता है कि मुलजिमान के घर में लोहे का गेट व खिडकियां है तो वह झूठ कहता है। मुलजिमान के घर पर 4–5 बच्चे है जो कि छोटे–छोटे है। मुझे पीडिता ने छुरी दिखाकर जान से मारने वाली बात भी बतायी थी। यह कहना गलत है कि पीडिता ने मुझे इस प्रकार की कोई बात ना बतायी हो। मेरे पति वैल्डिंग का काम करते है जे कि काम के सिलसिले में काफी दिन बाहर रहते है। आज खुद

कहा मेरे पति व जेठ घटना के एक महीने बाद व दो महीने बाद घर आये। मैने व मेरी जेठानी ने फोन से की अपने पतियो को घटना की जानकारी नही दी थी। मुझे नही पता मेरे ससुर व इब्राहीम के बीच मकान को लेकर झगडा है। यह सही है कि मेरे ससुर चाहते है कि मुलजिमान अपना सामान लेकर मकान खाली करके चले जाये। यह कहना गलत है कि मेरी ननद के साथ ऐसी कोई घटना ना घटी हो और अपने ससुर के कहने पर मकान के रंजिश्न के कारण झूठा बयान दिया हो। "

23. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 4 पीडिता की भाभी (y)**ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "मेरी ननद पीडिता है जो इस मामले की पीडिता है। मैं मुलजिमान इब्राहीम व सबीला को जानती हूं। सबीला मुलजिम इब्राहीम की पत्नी है। दोनो मुलजिमान हमारे मकान के बराबर में हमारे ही मकान में किरायेदार रहते है। घटना आज से करीब सवा दो साल पहले की है। दिन के करीब एक–डेढ बजे की है। अभियुक्ता सबीला हमारे घर पर आयी और मेरी ननद पीडिता को अपने घर बुलाकर ले गयी फिर मेरी ननद करीब आध–पौन घंटे के बाद घर लौटकर आयी तो वह सहमी व डी हुई थी और ठीक से चल भी नही पा रही थी। उस समय जब वह घर पर आयी तो मैं व मेरी देवरानी पीडिता की भाभी (X) घर पर थी। हमने उसकी वजह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सबीला मुझे घर से बुलाकर अपने घर ले गयी थी और घर पर मुलजिम इब्राहीम पहले से ही मौजूद था। वहां पर मुलजिम इब्राहीम ने डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी, जब मुलजिम बलात्कार कर रहा था वहां पर सबीला भी मौजूद थी। पीडिता ने बताया था कि मुझे छुरी दिखाकर डराया था। ताकि मैं चिल्ला ना सकू। फिर मैं व मेरी देवरानी पीडिता की भाभी (X) उल्हाना देने मुलजिमान के घर गये थे हमने पूछा तुमने हमारी ननद के साथ ऐसा क्यों किया तो वह उल्टा हमारे साथ झगडे पर उतारू हो गये। मैने घटना के बारे में अपने घरवालो को इसलिए नही बताया था कि कहीं झगडा ना हो जाये। घटना के बाद मेरी ननद घर पर गुमसुम रहने लगी थी तथा उसने खाना पीना छोड दिया था तब मेरे ससुर व आसिफ ने दबाव देकर मेरी ननद से पूछा था तब मेरी ननद ने सारी घटना मेरे ससुर व परिवार वालो को बतायी थी। घटना की रिपोर्ट थाने पर मेरे ससुर ने दर्ज करायी थी। मेरी ननद का महिला चिकित्सालय में मैडिकल भी हुआ था। पुलिस ने मेरा बयान भी लिया था।"

24. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "जिस दिन सबीला पीडिता को बुलाकर ले गई थी उस दिन मैं व पीडिता की भाभी (X) घर पर थी। पीडिता की भाभी (X) घर पर अकेली नही थी। जब सबीला आई वह बात दो बजे की है। सबीला आई और बुलाकर चली गई। सबीला उस दिन से पहले हमारे घर से पानी लेकर जाती थी। हमारा सबीला के घर आना जाना नही था। सबीला हमारे किरायेदार है। कब से है मुझे ध्यान नही है। कितना किराया लेते है उन्हें ही पता है जो किराया लेते है। घर वाले को किराये की रसीद कोई देते है मुझे नही पता। मेरी शादी से पहले सबीला, इब्राहीम वहां रह रहे है। मेरी शादी को कितने दिन हो गये है मुझे याद नही। मैं पढी लिखी नही हूं। मेरे बच्चे है, एक बच्चा पोने तीन साल व दुसरा दो साल का है। मेरी शादी से कितने साल पहले से रह रहे है मुझे नही पता। मैने शादी के बाद से कभी कोई किरायेदारी की रसीद नही देखी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त हमारे किरायेदार न हो और हम लोगो ने यह जमीन मेरे ससुर से खरीद ली हो। मैं गवाही देने पीडिता वाले मुकदमे में आई हूं। मेरे ससुर ने इब्राहीम व सबीला के खिलाफ बेदखली का कोई मुकदमा नही किया। केवल यही मुकदमा किा है। जब सबीला बुलाने आई थी तब पीडिता मुझे नही पता कब गई थी। पीडिता की भाभी (X) को पता है, मुझे सारी बात पीडिता की भाभी (X) ने बताई। यह बात अन्जुम ने दो–तीन दिन बाद बताई। यह बात मैंने अपने शौहर को नही बताई। घर वालो को बताई थी। तीन हफ्ते बाद घर वालो से मेरा मतलब ससुर देवर व सभी घर वालो से है। उन दिनो मेरे देवर व शौहर बाहर गये हुए थे। वह कब लौटकर आये मेरे ध्यान नही। तीन सप्ताह बाद बात बताने पर मेरे ससुर गये, हम नही गये। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। पुलिस ने मेरा बयान घर पर लिया था। दो–तीन दिन बाद मैने यह सब बात पुलिस को बता दी थी कि ये बात पीडिता की भाभी (X) ने मुझे बताई थी गवाह को उसका बयान 161द.प्र.सं. पढकर सुनाया गया कि ''यह घटना आज से 54 दिन पहले हुई थी। मुझे दिन भी याद है। उस दिन जुमे रात था। मुझे ध्यान नही है, मैने पीडिता

से कोई पूछताछ नही की, पीडिता की भाभी (X) से की थी। मैं सबीला व इब्राहीम के घर के आस पास जो लोग रहते है उन्हें पहचानती हूं। मैं इब्राहीम व सबीला के किसी पडोसी से बात नही की। मैने दरोगा जी कोबताया था कि घटना के समय सबीला भी वहां मौजूद थी। पीडिता को डाक्टर के यहां मेरे ससुर ले गये थे। इन्हें ही पता है, कहां लेकर गये थे। पीडिता को गांव में किसी डाक्टर के यहां नही लेकर गये थे। मेरी व मेरी देवरानी पीडिता की भाभी (X) का चुल्हा एक है। कमरा अलग अलग है। बगड एक है। मैं इब्राहीम का घर देखा है। घर के बाहर लोहे का गेट नही है इनका घर खुला है। मैने गेट नही है। लकडी का दरवाजा इनके कमरे में खुलता है। इनके दो कमरे है। कमरो में खिडकियां नही है। अन्दर लैट्रीन बनी है, बाथरूम नही है। रिपोर्ट के कितने दिन बाद पुलिस आई मेरे ध्यान नही है। मेरे देवर व शौहर अलग–अलग बाहर काम करते है। मैने घटना के बारे में अपने शौहर को मोबाईल फोन पर नही बताया। देवर को भी नही बताया। यह कहना गलत है कि इस प्रकार की कोई घटना न हुई हो और मकान खाली कराने के लिये ऐसा झूठा मुकदमा बनाया हो। मुझे नही पता कि मेरे ससुर ने इब्राहिम से मकान के लिये जगह के पैसे ले लिये हो और बैनामा नही कराया हो, जिस मकान में सबीला व इब्राहीम रह रहे है वह मेरी शादी से पहले बना है। मुझे नही पता मकान कितने दिन पहले बना है। हमारी रिश्तेदारी अभियुक्त से नही है। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में ससुर के कहने पर झूठी गवाही दे रही हूं। "

25. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 5 हैड कांस्टेबल सुशील तोमर** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 08.08.2020 को मैं थाना गंगोह पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन थाने पर पीडिता का पिता तथा उसके साथ तहरीर लेखक शमीम पुत्र उमरदीन ने थाना गंगोह पर तहरीर लेकर आये थे। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मेरे द्वारा मु0अ0सं0 463/2020 अन्तर्गत धारा 376,120बी,506 भा.द.सं. बनाम इब्राहीम आदि दोनो पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा उसी समय जीडी 32 पर समय 18:45 पर कर दिया गया था। चिक कागज संख्या 42/1 ता 42/2 है जिस पर थाने की मोहर तथा थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। जीडी कागज संख्या 5क/1 है जिसकी शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया तथा चिक पर **प्रदर्श क–3** डलाा गया।"

26. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "यह बात सही है कि जिस तहरीर के आधार पर मैने मुकदमा दर्ज किया है उस पर किसी उच्चाधिकारी का कोई एंडोर्समेंट मुकदमा कायमी के संबंध में नही है। यह बात सही है कि प्रदर्श क–3 पर मेरे कोई हस्ताक्षर नही है ना ही वादी के कोई हस्ताक्षर है। कायमी जीडी पर एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर नही है, न ही मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना गलत है कि मैने वादी मुकदमा के दबाव में एन्टी टाईप व एन्टी डेट चिक काटी हो।"

27. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 6 डा0 मनोरमा गोपाल** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 10.08.2020 को डा0 स्वाति एस.बी.डी. चिकित्सालय में इएमओ के पद पर तैनात थी। उस दिन थाना गांगोह की पीडिता मु0अ0सं0 463/2020 पीडिता पुत्र इकराम को महिला कांस्टेबल पूजा रानी मैडिकल परीक्षण के लिये लेकर आयी। डा0 द्वारा मूल मैडिकल प्रपत्र पर दाई आंख के नीचे तिल का निशान अंकित कर उसका निशानी अंगूठा लगवाकर उसमें अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया था। पीडिता द्वारा बताया गया कि उनकी पडोसन सबीला बुलाकर अपने घर ले गई थी और वहां पर चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके पति इब्राहीम ने उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता परीक्षण के समय नहाकर कपडे बदल चुकी थी तथा घटना एक माह पुरानी थी। बाहृय परीक्षण करने पर कोई चोट का नशिान नही था। आंतरिक परीक्षण करने पर उलम हाईमन ओल्ड टोर्न एण्ड हिल था। कोई रक्त स्राव नही था तथा परीक्षण के समय वजाईना से अवसोमेल डिस्चार्ज है। डाक्टर द्वारा एफएसएल व पैथोलॉजी लैब हेतु आवश्यक सैम्पल लेकर नियमानुसार भेजे गये तथा आयु हेतु एक्सरे एडवाईज किया गया व पैथोलॉजी लैब भेजे गये। मूल मैडिकल प्रपत्र व सीएमओ द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर डाक्टर द्वारा सप्लीमैंट्री रिपोर्ट तैयार की गई। स्वाति मेरे साथ कर्यरत रही है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानती हूं। मूल मैडिकल प्रपत्र **प्रदर्श क–5**, पैथोलॉजी रिपोर्ट **प्रदर्श क–6** तथा सप्लीमैंट्री रिपोर्ट पर

प्रदर्श क–7 डाला गया। मैं डा0 स्वाति के साथ तैनात रही हूं, उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानती हूं।"

28. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "मैंने पीडिता को नही देखा था। पीडिता को डा0 स्वाति ने देखा था। मैने आज केवल डा0 स्वाति के लेख व हस्ताक्षर को पहचानने के संबंध में बयान दिया है। शेष तथ्यो के बारे में बयान नही दिया था। मैडिकल में जो अवसोमेल डिस्चार्ज लिखा है वह इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यह कहना गलत है कि यह केवल इन्फेक्शन के कारण ही हो। हाईमन ओल्ड टोर्न एण्ड हिल की जो राय मैडिकल में वर्णित है। यह घटना के 10–12 दिन बाद सामान्यतः डवलप हो जाती है। यह स्थिति कितने समय पहले से पीडिता को चली आ रही थी इस बारे में कोई राय व्यक्त नही की जा सकती। पीडिता के बयान में जो चाय में कुछ दिये जाने का कथन है चूंकि मैडिकल एक माह बाद का है। इसलिये इस संबंध में कोई राय नही दी जा सकती। पीडिता का डीएनए के संदर्भ में सैम्पल इत्यादि लेकर पुलिस को दिये गये। प्रस्तुत किये गये प्रपत्रो में पुलिस को हैण्ड ओवर किये जाने का उल्लेख मेरे सामने नही है। पीडिता को महिला कांस्टेबल लेकर आयी थी ऐसा उल्लेख प्रपत्रो में है। यह कहना गलत है कि पीडिता के साथ बताये प्रकार से ऐसी कोई घटना न हुई हो और पुलिस व पीडिता के कहे अनुसार चिकित्सीय प्रपत्र औपचारिकता में तैयार किये गये हो।"

29. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 7 एस.आई. विवेचक वैधवान** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 09.08.2020 को मैं थाना गंगोह में बतौर एस.आई. तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 463/2020 बनाम इब्राहीम की विवेचना मेरे सुपुर्द की गई। विवेचना गृहण करने के बाद मेरे द्वारा सीडी–1 दिनांक 09.08.2020 को किता किया गया जिसमें मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, पीडिता बयान 161द.प्र.सं. का अवलोकन किया गया तथा पीडिता को मैडिकल हेतु भेजा गया। सीडी–2 दिनांक 20.08.2020 को किता किया गया, जिसमें बयान वादी अंकित किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद नक्शा नजरी बनाया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 7क है जो मेरे हस्तलेख में है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। पर्चा नं03 दिनांक 12.08.2020 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके बयान अंकित किये तथा उसका गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया। गिरफतारी प्रपत्र पत्रावली पर कागज संख्या 9क है जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करात हूं, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। सीडी–4 दिनांक 14.08.2020 को किता किया गया जिसमें पीडिता के प्रपत्रो का अवलोकन किया गया। सीडी–5 दिनांक 20.08.2020 को किता किया गया, जिसमें पीडिता के बयान 164 स्वयं न्यायालय में अंकित कराये गये। सीडी–6 दिनांक 27.08.2020 में किता किया गया जिसमें सह अभियुक्ता सबीला की तलाश की गई व उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफतारी प्रपत्र मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जो पत्रावली पर कागज संख्या 9क/2 है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। सीडी–7 दिनांक 28.08.2020 को किता किया गया, जिसमें पीडिता का मैडिकल व सप्लीमैंट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सीडी–8 दिनांक 31.08.2020 को किता किया गया, जिसमें बयान , पीडिता की भाभी (y), बयान डा0 स्वाति व महिला कांस्टेबल पूजा अंकित किये गये तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 440/2020 प्रेषित किया गया। कम्प्यूटराईज्ड आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3क/1 ता 3क/3 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया।

30. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि"पीडिता का बयान थाने में लिया था। पीडिता का बयान दिनांक 09.08.2020 को लिया था। घटना के अलगे दिन पीडिता के थाने आने का तथ्य मेरे संज्ञान में है। यह कहना गलत है कि पीडिता घटना के दिन थाने आये हो। दिनांक 09.08.2020 में ही पीडिता को मैडिकल के लिये अस्पताल भेजा गया था। पीडिता ने अपने बयान में घर में घुसते अन्दर खींचने वाली बात बताई थी। पीडिता ने मुझे कपडे फट गये हो व नग्न कर दिया हो। ऐसी बात बताई हो मेरे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि मुझे घर में घुसते ही अन्दर खिचने वाली बात और कपडे फटने वाली बात व नग्न कर देने वाली बात ना बताई हो। दौरान विवेचना मेरे संज्ञान में नही आया कि पीडिता का इलाज गांव में किसी प्राईवेट डाक्टर के द्वारा किया यगा

या नही। यह भी सही है कि पीडिता के इलाज प्राईवेट डाक्टर के द्वारा किये जाने के संबंध में ना तो पीडिता ने भाभियो ने बताया ना पिता ने बताया। मैंने पीडिता के भाईयो का बयान नही लिया। चूंकि पीडता ने घटना एक माह पूर्व की बताई थी। इस कारण से कोई कपडा कब्जा पुलिस ने नही लिया। पीडिता ने अपने बयान में सबीला के साथ मकान खुला छोडकर जाने वाली बात बताई थी। मेरे पिता व मुलजिमान के मध्य मकान व किरायेदारी का कोई विवाद था। मेरे संज्ञान में नही था। पीडिता के पिता ने दौरान विवेचना ऐसा कोई प्रपत्र नही दिखाया कि इब्राहीम व सबीला वाला मकान उसका है। गवाह पीडिता की भाभी (x) का बयान दिनांक 31.08.2020 में लिया था। पीडिता की भाभी (x) ने अपने बयान में अपनी जेठानी के साथ मुलजिमान के घर जाकर लडने की कोई बात मुझे बताई या नही मुझे ध्यान नही है। पीडिता की भाभी (x) व पीडिता की भाभी (y) ने घटना के समय अपने पतियो का बाहर होना बताया था। निरीक्षण घटनास्थल में मुलजिमान के मकान में कोई गेट नही बताया गया है ना ही ऐसा कोई गेट होना पीडिता ने बताया। कमरे में कोई खिडकी नही दर्शायी ना ही बताई गई थी। यह सही है कि सबीला के कमरे में खडे होने का स्थान नही नही दर्शाया गया है। मुलजिमान के मकान के दक्षिण में इकराम की सम्पत्ति, उत्तर में भी पीडिता के पिता के मकान है और पूरब में इकराम व उसके भाई जिन्दा के खेत है। मुलजिमान के मकान में उत्तर व पश्चिम से आने के दो रास्ते है। मुलजिमान बाल बच्योदार है, लेकिन घटना के समय उनके बच्चे वहां नही थे। यह सही है कि मुलजिमान के बच्चे कथित घटना के समय घर पर नही थे। इस बात का उल्लेख सीडी में नही किया। पीडिता ने मुझे कांस्टेबल महिला पहले गांव की रहने वाली सबीला....मैने अपनी भाभी को बताया। मुझे कुछ ओर नही कहना है, यह बयान दिया था। इस मुकदमे में पीडिता की चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डाक्टर का भी मैने बयान लिया था। उन्होने मुझे अपने बयान में पीडिता का मैडिकल करने वाली बात बताई थी। डाक्टर ने मुझे पीडिता के द्वारा चिकित्सा से अन्य कोई और बात ना बताने वाली बात नही बताई थी। दौरान विवेचना वादी व पीडिता से देरी से मुकमदमा लिखाने के संबंध में कोई पूछ–ताछ नही की थी। पीडिता की भाभी (y) का बयान भी दिनांक 31.08.2020 में ही लिया था। यदि पीडिता की भाभी (X) अपना बयान 20–22 दिन बाद मेरे द्वारा लिये जाने की बात बताती है तो वह गलत बयान करती है। इस मुकमदे के संबंध में मैने समाई रोहादत नही ली थी। यह सही है कि मुलजिमान व इनका पता एक है। बिरादरी के एक दम पडोस में ही रहने वाले है। यह कहना गलत है कि वादी पक्ष व मुलजिमान पक्ष के मध्य सम्पत्ति का विवाद हो और मुलजिमान से मकान खाली कराने को लेकर झूठे मुकदमे में गलत तफतीश करके झूठा आरोप पत्र दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैने विवेचना के पवित्र, दायित्वी का सभी प्रकार से विवेचन ना किया हो।"

31. अभियुक्त पक्ष के **साक्षी डी0डब्लू0 1 महताब** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि "मुलजिम इब्राहीम व उसकी पत्नी को जानता हूं और मेरे ही गांव के है। इनका अपना मकान है। इस मुकदमे के वादी मुकदमा को भी जानता हूं। हमारे गांव के बडे काश्तकार है। इब्राहीम ने लगभग 15 साल पहले वादी मुकदमा से जमीन लेकर मकान बनाया था। इससे पहले इब्राहीम दौलतपुर रहा करता था। इब्राहीम ने जमीन का बैनामा उस समय नही कराया था। पीडिता का पिता ने पैसा लेकर कब्जा दे दिया था तथा बाद में जब कभी इब्राहीम चाहेगा बैनामा करने का बचन दिया था किन्तु सरकार की दस साल पहले आयी योजना में गरीब आदमियो के शौचालय बने थे। इब्राहीम के मकान में भी प्रधानमंत्री की योजना में शौचालय बना था। इब्राहीम ने अपने मकान में बिजली का कनेक्श्न ले रखा है। इकराम के मन में बाद में फर्क आ गया था। उसने इब्राहीम के कहने से बैनामा ना करके इब्राहीम को घर से निकालने का दबाव दिया था। इसी कारण से झूठा मुकदमा इब्राहीम व सबीला के खिलाफ पुलिस से मिलकर दर्ज कराया। जबकि वादी की लडकी पीडिता के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इब्राहीम बाल बच्चेदार है। मजदूरी पेशा है। वादी मुकदमा बडा काश्तकार है, मजबूत आदमी है जो इब्राहीम से मकान छोडकर जाने का दबाव दे रहा है। गांव में हम सभी लोगो ने कई बार वादी को समझाया बुझाया था लेकिन वादी ने बिरादरी व पंचायत की कोई बात नही मानी।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि"मेरे पास कोर्ट से कोई समन नही गया। मुझे इब्राहीम व सबिला गवाही हेतु लेकर आये थे। पुलिस ने मेरे से

कोई पूछ–ताछ नही की थी और ना ही मैने थाने में जाकर कोई बात बताई। इकरारनामा जो जुबानी हुआ था लगभग पन्द्रह साल पहले हुआ था। जब मुलजिम ने अपना मकान बनाया था। इब्राहीम ने वादी से बैनामा करने के लिये लगभग पांच साल पहले कहा था तभी से वादी बैनामा से इन्कार करता है। गांव में इस संबंध में पंचायत हुई थी। उसमें नवाब, जुल्फान व मुकर्रम आदि कई लोग शामिल थे। पंचायत में वादी ने किसी की बात नही मानी थी। वादी की लडकी पीडिता इब्राहीम के घर नही गई थी ना ही इब्राहीम ने उसे बुलाया था। इब्राहीम के मकान के पूरब में वादी का मकान व खेत है तथा उत्तर में सडक है, फिर वादी का मकान है। पश्चिम में सडक ताताहेडी है और दक्षिण में वादी का खेत व मकान है। मेरा मकान जंगल में है। सडक के बगल में है। जहां से इब्राहीम का मकान दिखता है। वादी की लडकी पीडिता को घटना वाले दिन इब्राहीम के घर जाते नही देखा। यह कहना गलत है कि मैं इब्राहीम का मेली जोली होने के कारण उसके हक में झूठी गवाही देने आया हूं।"

33. अभियोजन की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री सतीश कुमार सैनी** एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता **श्री अवनीश शर्मा** को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

34. प्रस्तुत प्रकरण धारा 376,120बी,506 भा0द0सं0 से संबंधित है, जिसमें उपरोक्त तथ्यों तथा प्रस्तुत किये गये तर्को के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण इस न्यायालय को निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओ के आधार पर किया जाना है :–

1– क्या अभियुक्त इब्राहीम द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज सबीला, चाकू के बल पर पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया?

2– क्या अभियुक्तगण द्वारा पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गयी?

3– क्या अभियोजन द्वारा साक्ष्य के आधार पर अपना वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

निस्तारण अवधार्य बिन्दु–1 क्या अभियुक्त इब्राहीम द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज सबीला, चाकू के बल पर पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया?

35. उक्त अवधार्य बिन्दु इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण के बयानो एवं तहरीर में किये गये कथनो में गम्भीर विरोधाभास है एवं बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से विचार विमर्श के उपरान्त पंजीकृत करायी गयी है और विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

36. विधि व्यवस्था–एप्रेन जोसेफ उर्फ करेंट कुन्ज कुन्जू एवं अन्य बनाम केरल राज्य ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1, गनेश भावन पटेल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 135, मध्य प्रदेश राज्य बनाम कृपारन (2003) 12 एस.सी.सी. 675 तथा साहेब राव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (9) एस.सी.सी. 794 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलम्ब अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करने एवं नकारने का आधार नहीं हो सकता यदि विलम्ब को समुचित ढंग से स्पष्ट किया गया है तो, लेकिन यदि विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है तो उसका प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर आधारित होगा, परन्तु यह एक मात्र आधार अभियोजन कथानक पर अविश्वास करने का नहीं हो सकता।

37. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर दिनांकित 08.08.2020 प्रदर्श क–1 साक्षी संख्या–1 द्वारा साबित किया गया है। तहरीर अनुसार विपक्षीगण इब्राहीम पुत्र बशीर व सबीला पत्नी इब्राहीम निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर। निवासी हाल ग्राम ताताहेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर, पिछले करीब तीन वर्षो से वादी मुकदमा के मकान वाके ग्राम ताताहेडी में बतौर किरायेदार रह रहे थे। करीब एक माह पहले विपक्षी इब्राहीम ने एक पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज सबीला के उसकी पुत्री पीडिता को सबीला उपरोक्त के हाथो उपरोक्त किराये के मकान पर बुलाकर उसकी पुत्री पीडिता को डरा धमका कर तथा चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकियां देकर इब्राहीम ने उसकी पुत्री पीडिता के साथ जबरन बलात्कार किया और विपक्षीगण ने पीडिता को धमकियां दी कि अगर तूने किसी को बताया तो वे तुझे जान से मार देगें, जिसके कारण वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को जबरदस्त मानसिक आघात

पहुंचा है और पीडिता के साथ इस तरह बलात्कार होने के कारण वादी की पुत्री पीडिता जबरदस्त तरीके से डरी हुई है, तथा सहमी हुई है और पीडिता जबरदस्त तरीके से मानसिक रूप से बीमार भी हो गयी है तथा पीडिता तब से ठीक से कुछ खा पी नही रही है तथा गुमसुम है। वादी मुकदमा व उसके परिवार वालो ने पीडिता से पूछा कि उसने इस तरह से अचानक खाना पीना बंद क्यों कर दिया और गुमसुम क्यों है तो वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता ने उपरोक्त घटना के बारे में उसे व उसके परिवार वालो को बताया। विपक्षी सबीला व इब्राहीम ने एक पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत उपरोक्त किराये के मकान में वादी की पुत्री पीडिता को बुलाकर वादी की पुत्री पीडिता के साथ जबरन बलात्कार तथा पीडिता के मानसिक रूप से बीमार हो जाने के रिपोर्ट में देरी है।

38. उक्त तहरीर दिनांक 08.08.2020 को समय 18:45 बजे थाना गंगोह में दर्ज करायी गयी जिसका इन्द्राज जीडी संख्या 032 में किया गया। उक्त जीडी साक्षी संख्या–5 द्वारा प्रदर्श क–4 के रूप में साबित की गयी है। उक्त जीडी के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की विवचेना साक्षी संख्या–7 को सुपुर्द की गयी। जीडी का इन्द्राज करते समय अथवा वादी मुकदमा द्वारा जब थाने पर तहरीर दी गयी उस समय पीडता थाने पर मौजूद नही है व वादी को हिदायत दी गयी कि पीडिता को अगले दिन प्रातः डाक्टरी व आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने हाजिर लेकर आये। साथ ही पीडिता का आयु प्रमाण पत्र भी लेकर आये। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में घटना के संबंध में किसी तिथि का उल्लेख नही किया गया है। वादी द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया कि करीब एक माह पहले विपक्षी इब्राहीम ने एक पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज सबीला उसकी पुत्री पीडिता के साथ बलात्कार किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी साक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में घटना की दिनांक स्पष्ट तौर पर नही बताई गयी। उक्त तहरीर अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराने से पूर्व वादी पीडिता द्वारा वादी मुकदमा को सम्पूर्ण घटना बता दी गयी थी कि अभियुक्त इब्राहीम द्वारा पीडिता के साथ डरा धमका कर चाकू की नौक पर जानसे मारने की धमकियां देकर जबरन बलत्कार किया गया और पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गयी, जिस कारण पीडिता डरी सहमी रहने लगी व खाना पीना छोड दिया। पूछे जाने पर पीडिता द्वारा उक्त घटना के बारे में परिवार वालो को बताया गया, जिसके बाद वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने में तहरीर दी गयी। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 6क/1 दिनांकित 09.08.2020 पीडिता का 161द.प्र.सं. का बयान में पीडिता द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय पीडिता की उम्र लगभग 18 वर्ष 6 माह है। पीडिता द्वारा यह भी कथन किया गया कि घटना लगभग एक माह पहले की है, जब अभियुक्ता सबीला के कहने पर इब्राहीम द्वारा पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। घर आकर पीडिता द्वारा अपनी भाभी को घटना के बारे में बताया। जहां एक ओर वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया गया है कि पीडिता द्वारा घटना के एक माह बाद तक परिवार वालो को घटना के संबंध में नही बताया गया वहीं दुसरी ओर पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 161द.प्र.सं. के परिशीलन से स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा घटना वाले दिनांक को ही अपनी भाभी को घटना के बारे में बता दिया गया था। पीडिता के बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. दिनांकित 18.08.2020 पत्रावली पर प्रदर्श संख्या क–2 को पीडिता द्वारा साबित किया गया है। पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 सी.आर.पी.सी. में यह कथन किया गया है कि घटना एक माह पहले की है तारीख याद नही, दोपहर की है। मैं अपने घर पर थी सबीला मुझे बुलाकर अपने घर ले गई। उनका पति इब्राहीम भी वहां पर आ गया। वहां इब्राहीम ने मेरे साथ बलात्कार किया। सबीला वहीं खडी रही। सबीला ने मेरा मुह बंद कर रखा था। मैं गिरती पडती अपने घर गई। भाभी को सब बात बताई। मुझे धमकी दी थी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगें। भाभी उनके घर लडने भी गई थी। जहां एक ओर वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में यह कथन किया गया है कि पीडिता से अभियुक्त इब्राहीम द्वारा चाकू की नौक पर जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया। वहीं दुसरी ओर पीडिता द्वारा अपने बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. व बयान धारा 161द.प्र.सं. में चाकू की नौक पर बलात्कार किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया गया। पीडिता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी ऐसा कोई कथन नही किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उसको चाकू

दिखाकर बलात्कार किया गया हो। साक्षी संख्या–3 व 4 द्वारा भी पीडिता द्वारा उनसे चाकू की नौक पर बलात्कार किये जाने का उल्लेख किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया गया। साक्षी संख्या–7 विवेचक द्वारा भी चाकू की नौक पर बलात्कार किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया गया। पत्रावली पर मौजूद मैडिकल प्रपत्र कागज संख्या 8क/3 जो पीडिता द्वारा अपने मैडिकल के समय डाक्टर को बयान दिया गया था, मौजूद है, जिसका परिशीलन न्यायालय द्वारा किया गया। पीडिता द्वारा उक्त मैडिकल प्रपत्र में मैडिकल करने वाली डाक्टर से यह कथन किया कि बलात्कार की घटना के समय उसको अभियुक्त सबीला द्वारा चाय पिलाई गयी जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके बाद अभियुक्त इब्राहीम द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। पीडिता के उक्त बयान का समर्थन साक्षी संख्या–6 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि पीडिता द्वारा बताया गया कि उनकी पडोसन सबीला बुलाकर अपने घर ले गई थी और वहां पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके पति इब्राहीम ने उसके साथ बलात्कार किया। परन्तु इस आशय का कोई भी कथन अथवा चाय पिलाकर बेहोश करने से संबंधित कथन न तो तहरीर में किया गया न ही पीडिता द्वारा अपने बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. में किया गया। तथ्य के अन्य साक्षी संख्या–2 व 3 द्वारा भी ऐसा कोई कथन पीडिता द्वारा किया जाना नही बताया गया। साक्षी संख्या–7 विवेचक द्वारा भी इस आशय का कोई कथन नही किया गया साथ ही दौरान विवेचना ऐसा कोई तथ्य विवेचक के समक्ष साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। अतः जहां एक ओर तहरीर अनुसार पीडिता द्वारा घटना के तुरन्त बाद घटना किसी अन्य परिवार वाले को न बताया जाना उल्लेखित होता है। वहीं दुसरी ओर पीडता व अन्य साक्षीगण साक्षी संख्या–3 व 4 द्वारा यह कथन किया गया है कि पीडिता ने घटना के तुरन्त बाद घटना के संबंध में साक्षी संख्या–3 व 4 को बता दिया था। वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अभियोजन द्वारा तहरीर विलम्ब से दिये जाने के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि पीडिता घटना के बाद बीमार रहने लगी। परन्तु इस तथ्य की पुष्टि स्वयं पीडिता व अन्य साक्षीगण के बयानो से नही होती है। पीडिता द्वारा बयान धारा 161द.प्र.सं. बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानो में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के तुरन्त बाद उसके द्वारा बलात्कार की घटना के संबंध में अपनी भाभी को बता दिया गया था। अतः तहरीर में किये गये कथन एवं पीडिता के साक्ष्य व अन्य साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर विचार विमर्श उपरान्त दिया जाना प्रतीत होता है। यदि बलात्कार जैसी घटना की जानकारी पीडिता की भाभी जो पीडिता के साथ एक ही छत के नीचे अन्य परिवारजन के साथ निवास करते है, को घटना के दिन ही हो गयी थी और पीडता की भाभियां अभियुक्त सबीला से लडने भी गई थी, तब वादी मुकदमा द्वारा एक माह के विलम्ब के उपरान्त तहरीर प्रस्तुत की गयी, इसका कोई भी सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। अतः न्यायालय बचाव पक्ष के तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर में किये गये कथन एवं अन्य साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास है एवं तहरीर विचार विमर्श के उपरान्त एक माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है।

39. अवधार्य बिन्दु–1 के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा दुसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास है, जिससे सम्पूर्ण घटना सन्देहास्पद प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी संख्या–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि ''मैं हाजिर अदालत मुलजिम इब्राहीम को जानता हूं तथा इब्राहीम की पत्नी सबीला को भी जानता हूं। ये दौलतपुर के रहने वाले थे। घटना से तीन साल पहले इब्राहीम मेरे मकान में किराये पर रहने के लिए आये थे। इब्राहीम अपने परिवार के साथ हमारे बराबर वाले मकान में जो मैने किराये पर दिया था, रहने लगे। अब से करीब सवा साल पहले की घटना है। इब्राहीम की पत्नी सबीला मेरी लडकी पीडिता को बुलाकर जिस मकान में रहते थे उसमें ले गयी, फिर इब्राहीम ने मेरी लडकी पीडिता के साथ चाकू से डरा धमका कर जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरी लडकी को डराया व धमकाया कि बलात्कार वाली बात किसी को नही बताना और बताने पर जान से मार देगे। बलात्कार की घटना के बाद मेरी लडकी कुछ खा–पी नही रही थी और डरी सहमी थी और बीमार हो गयी थी और दीमागी सन्तुलन सही नही रहा। मेरे साथ मेरे बेटो की दोनो

पत्नियों के सामने हमारे द्वारा पूछने पर मेरी लडकी पीडिता ने बताया कि करीब एक माह पहले सबीला मुझे बुलाकर अपने घर ले गयी थी और इब्राहीम ने चाकू से डरा धमका कर मेरे साथ बलात्कार किया। इसी वजह से मेरी मानसिक स्थिति खराब हुई। घटना के संबंध में मैने एक तहरीर शमीम निवासी ताताहेडी से बोल–बोल कर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 08.08.2020 को थाने पर दी थी। घ टनास्थल मैने पुलिस को दिखा दिया था। संबंधित पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था।'' उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''मुझे घटना की सूचना एक महीने बाद मिली थी। मुझे मेरी लडकी ने ही बताया था। लडकी के बताने के बाद दोपहर के बाद हम थाने रिपोर्ट को गये थे। मैं और मेरी लडकी मेरे साथ थी। हम दो–ढाई बजे थाने पहुंच गये थे। थाने पर पुलिस वाले मिले थे। वहीं थाने पर ही रिपोर्ट लिखकर दी थी। जहां एक ओर साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन वह रिपोर्ट लिखाने अपनी लडकी के साथ थाने पर गया था। प्रदर्श क–4 के परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.08.2020 को वादी मुकदमा द्वारा थाने पर तहरीर दी गयी थी, जिसका इन्द्राज जीडी संख्या 032 में किया गया। उक्त जीडी अनुसार घटना वाले दिन वादी मुकदमा थाने पर अकेले गया था। उसके साथ पीडिता थाने नही गयी थी। पुलिस द्वारा वादी मुकदमा को यह हिदायत दी गयी कि वह अगले दिन पीडिता के साथ थाने पर आये और डाक्टरी कराना सुनिश्चित करे। जहां एक ओर उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि उसे घटना की सूचना एक महीने बाद उसकी लडकी ने ही दी थी। वहीं दुसरी ओर बयान साक्षी संख्या–2, 3 व 4 से स्पष्ट होता है कि पीडिता द्वारा घटना के तुरन्त बाद घटना की सूचना पीडिता द्वारा अपनी भाभियो को दे दी गयी थी। साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा द्वारा मेरे परिवार में मेरे दो बेटो की बहुएं भी साथ रहती है। मेरे भाई की पत्नी पडौस में ही अलग बगड में रहती है। रिपोर्ट लिखाने तक इस घटना के संबंध में मेरी बहुओ से बात चीत हुई। रिपोर्ट लिखाने के समय दो घंटे पहले बहुओ से बात हुई थी। खुद कहा कि रिपोर्ट लिखाने से एक दिन पहले बहु ने मुझे शाम को बताया। आसिफ ने मुझे नही बताया। वह घर पर नही था। रिपोर्ट लिखाने से पहले मैने अपने पुत्रो से कोई सलाह मशवरा नही किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट वाले दिन ही पुलिस ने मेरा बयान लिया था। बेटी का बयान उस दिन भी हुआ और अगले दिन भी हुआ। पुलिस को मैने एक दिन पहले बहु के द्वारा घटना की बाबत बताने वाली बात नही बतायी थी। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि यह सही है कि पीडिता का सबीला के पास आना जाना था। यह भी सही है कि मेरी बहुए भी सबीला के यहां चली जाती थी। मेरी बहुएं लडकी की घटना की जानकारी के बाद मुलजिमान के घर गयी थी। खुद कहा लडने नही गयी थी। मेरी बहुए मुलजिमान के घर रिपोर्ट से एक दिन पहले गयी थी। मैने बहुएं का मुलजिमान के घर जाने वाली बात रिपोर्ट में नही लिखायी थी। खुद कहा कि ये कोई बडी बात नही है। मैने अपनी लडकी को उसकी बीमारी के दौरन गांव के ही डाक्टर से ही दवाई दिलवायी थी। डाक्टर का नाम ध्यान नही है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा, पीडिता अपने बेटो व बहुओ के साथ एक ही छत के नीचे निवास करता हो और उसकी परिवार के अन्य सदस्यो एवं बहुओ से बाते रिपोर्ट लिखाने के दिन तक होती रहे परन्तु उसके द्वारा घटना से संबंधित रिपोर्ट समय से क्यों नही लिखाई गयी इसका स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नही दिया गया है। जहां एक ओर उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण व पीडिता और परिवार के अन्य सदस्यो का एक दुसरे के घर में आना जाना था। वहीं दुसरी ओर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नही की गयी है।

40. साक्षी संख्या–2 पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पहले यह कथन किया गया कि मैं मुलजिमान को जानती हूं। मैं मुलजिमान को जब से मेरा बलात्कार हुआ तब से जानती हूं। बलात्कार की घटना से पहले नही जानती थी। तदुपरान्त पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना से पहले सबीला हमारे घर आती जाती रहती थी। सबीला के बच्चे भी हमारे घर आते जाते रहते थे। अतः पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में पहले यह कथन किया गया कि वह अभियुक्तगण को घटना से पहले नही जानती थी। परन्तु बाद में यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण का उनके घर पर आना जाना था व अभियुक्तगण के बच्चे भी पीडिता के घर पर आते जाते रहते थे। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानो में यह

कथन किया गया कि वह रिपोर्ट लिखाने अपने पिता वादी मुकदमा के साथ थाने गयी थी। परन्तु प्रदर्श क–2 के परिशीलन से स्पष्ट है कि तहरीर प्रस्तुत करने वाले दिन पीडिता थाने पर वादी मुकदमा के साथ थाने पर उपस्थित नही थी। साक्षी संख्या–5 द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि ''दिनांक 08.08.2020 को मैं थाना गंगोह पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। उस दिन थाने पर पीडिता का पिता तथा उसके साथ तहरीर लेखक शमीम पुत्र उमरदीन ने थाना गंगोह पर तहरीर लेकर आये थे। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मेरे द्वारा मु0अ0सं0 463/2020 अन्तर्गत धारा 376,120बी,506 भा.द.सं. बनाम इब्राहीम आदि दोनो पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा उसी समय जीडी 32 पर समय 18:45 पर कर दिया गया था।'' जिससे स्पष्ट है कि पीडिता के थाने पर तहरीर दिये जाने के संबंध में बयानो में विरोधाभास है। पीडिता द्वारा अपने बयानो में यह कहा गया कि जिस दिन अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार की घटना की गयी थी उसके बाद वह डाक्टर के पास गयी थी व डाक्टर को दिखाया था परन्तु पीडिता द्वारा किसी डाक्टर का नाम अपने बयान में उल्लेखित नही किया गया है। साक्षी संख्या–7 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि दौरान विवेचना मेरे संज्ञान में यह नही आया कि पीडिता का इलाज गांव में किसी प्राईवेट डाक्टर द्वारा किया गया या नही। यह भी सही है कि पीडिता के इलाज प्राईवेट डाक्टर द्वारा किये जाने के संबंध में न तो पीडिता ने भाभियो को बताया ना पिता ने बताया। पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना के समय मुलजिम ने मेरे कपडे फाड दिये थे और धमकी दी थी कि अगर घर पर बताया तो जान से मार दूंगा। कपडे फाडने पर मैं निवस्त्र हो गयी थी। मेरे विरोध करने पर मेरे शरीर पर खरोंच व नील के निशान पड गये थे। मेरे कमर में कंधो पर खून निकला था। मेरे कपडे खून से सन गये थे। मैने उस दिन सलवार कमीज पहन रखा था। रंग मेरे याद नही।....मैं मौके पर बेहोश हो गयी थी। मुझे कब होश आया मुझे पता नही। जब मुझे होश आया मैं अपने घर पर थी। मेरे ईद–गिर्द मेरी भाभियां व घर के लोग खडे थे। मुझे ध्यान नही मेरे पिता वहां खडे थे या नही। मुलजिमान ने मेरे साथ बुरा काम किया था। यह बुरा काम मेरे साथ पहली बार हुआ था, तब मुझे मेरे घर के लोग गांव के ही डाक्टर के पास ले गये थे, तब शाम हो चुकी थी। मेरी भाभियां मेरे साथ थी। डाक्टर का नाम मुझे याद नही। लेकिन वो पुराना डाक्टर है, फिर अगले दिन दोपहर में पुलिस में गये थे। थाने में मैं व मेरे अब्बू गये थे। वहां हम आधा घंटे रूके थे। वहां जो–जो मेरे साथ हुआ था पुलिस को बता दिया था। पुलिस मुझे सरकारी अस्पताल सहारनपुर डाक्टरी के लिए ले गयी थी। मैं व मेरे पिता थाने गये थे तभी हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। घटना के बाद मेरी भाभी उनके लडने गयी थी, उसे नही पता। मेरे बयान 164सी.आर.पी.सी. मेरी भाभी से लडाई करने की बात लिखी है, मैं इसकी कोई वजह नही बता सकती। इस बाबत गांव में बिरादरी इकट्ठा नही, कोई पंचायत नही की थी। मेरे घर पुलिस आयी थी। मैने पुलिस को अपने बयान में मुलजिम के घर में घुसते ही उनके द्वारा अन्दर खीचने वाली बात बतायी थी। यदि यह बयान में नही लिखा है तो मैं इसकी वजह नही बता सकती। मेरे कपडे फट गये थे, मुझे नंगा कर दिया था। पुलिस को बता दिया था। मैने यह बात मेरे कपडे फट गये थे मुझे नंगा कर दिया था मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया था। यदि मेरे बयान 161द.प्र.सं. व 164सी.आर.पी.सी. में ना लिखा हो मैं इसकी वजह नही बता सकती। मुझे शरीर पर चोटे आयी थी। खरोंच व नीलगू निशान आये थे। मैने डाक्टर को दिखा दी थी। मैने प्राईवेट डाक्टर को जो गांव का है व सरकारी डाक्टर दोनो को यह चोटे दिखा दी थी। गांव के जिस डाक्टर से इलाज कराया था, पर्चा बना था याद नही रहा।...मुझे घिसटने से जो चोटे आयी थी वो डाक्टर को दिखा दी थी। मैने अपने पहने हुए कपडे पुलिस को नही दिये थे ना ही पुलिस वालो ने मांगे थे। जब मुझे गांव के डाक्टर के पास ले गये थे तब मुझे सुधी आ गयी थी। चेहरे पर मेरे कोई निशान नही था। पीडिता के बयान के परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि पीडिता के बयान तहरीर में किये गये कथनो एवं साक्षी संख्या–1 के बयानो से मेल नहीं खाते है। पीडिता के बयान व तहरीर में किये गये कथनो में परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है। जहां एक ओर पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा उसके कपडे फाड दिये गये थे व निर्वस्त्र कर दिया था और साथ ही उसको काफी चोट आयी थी जिसकी वजह से उसके शरीर से खून निकला था और खून से कपडे सन गये थे। वहीं

दुसरी ओर पीडिता द्वारा किये गये उक्त कथनो का कोई उल्लेख स्वयं पीडिता के बयान 161द.प्र.सं. व 164सी.आर.पी.सी. में नही किया गया। पीडिता अनुसार घटना के बाद वो मौके पर ही बेहोश हो गयी थी व जब होश आया वह अपने घर पर थी और उसके सामने उसकी भाभियां व अन्य लोग खडे थे। परन्तु इस आशय का भी कोई कथन ना तो वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में किया गया ना ही पीडिता द्वारा स्वयं अपने बयान 161द.प्र.सं. व 164सी.आर.पी.सी. में किया गया। यदि यह सत्य है कि घटना के समय पीडिता नग्न अवस्था में हो गयी थी व उसको काफी चोट आयी थी और इस घटना को उसकी भाभियो द्वारा भी देखा गया था तो इस बात का कोई औचित्य नही है कि पीडित परिवार द्वारा घटना के संबंध में तहरीर एक माह देरी से क्यों दी गयी। प्रस्तुत घटना बलात्कार जैसे गम्भीर प्रकरण से संबंधित है, जिसमें सामान्य ज्ञान का कोई भी व्यक्ति यदि पीडिता को उसके द्वारा बताई गयी अवस्था में देखता तो तत्काल रूप से उसका पहला कृत्य पुलिस में रिपोर्ट करना होता । प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता व उसके परिवार द्वारा किया गया आचरण नैर्सगिक प्रतीत नही होता है। पीडिता एवं वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानो में यह कथन किया गया है कि पीडिता की बीमारी के संबंध में उसको डाक्टर को दिखाया गया था परन्तु वहीं दुसरी ओर न तो पीडिता और न ही वादी मुकदमा द्वारा किसी डाक्टर का नाम अपने बयानो में उल्लेखित किया गया है। साक्षी संख्या–7 द्वारा भी विवेचना के दौरान किसी प्राईवेट डाक्टर का नमा उसके संज्ञान में आने का कथन नही किया गया है। साथ ही विवेचक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि घटना के संबंध में कपडे फटने व नग्न करने वाली बात उसको बतायी गयी हो। पीडिता द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि घटना के तुरन्त बाद उसने घटना के संबंध में साक्षी संख्या–3 व 4 को बता दिया था व पीडिता की दोनो भाभियां घटना की जानकारी होने के बाद अभियुक्तगण से लडने उनके घर पर गई थी। पीडिता द्वारा घटना में आयी चोटे भी अपनी भाभियो को दिखा दिया गया था। परन्तु साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा के बयानो में इन तथ्यो का कोई उल्लेख नही मिलता है। जहां एक ओर पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि बलात्कार की घटना के समय अभियुक्तगण के बच्चे बराबर वाले कमरे में थे। वहीं इसके विपरीत साक्षी संख्या–7 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि मुलजिमान बाल बच्चेदार है, लेकिन घटना के समय उनके बच्चे वहां नही थी। यह सही है कि मुलजिमान के बच्चे कथित घटना के समय घर पर नही थे। अतः पीडिता के बयानो में गम्भीर विरोधाभास प्रतीत होता है। पीडिता के बयानो का समर्थन अन्य साक्षीगण के बयानो से नही होता है, जिस कारण पीडिता के बयान विश्वसनीय प्रतीत नही होते है।

41. साक्षी संख्या–3 द्वारा अपने बयानो में यह कथन किया गया कि '' अभियुक्ता सबीला मेरी ननद पीडिता को अपने घर बुलाकर ले गयी थी, काफी समय बाद पीडिता घर पर लोटकर आयी तो वह डरी सहमी सी थी और वह चल भी नही पा रही थी। मैं तथा मेरी जेठानी पीडिता की भाभी (X)घर पर नही थी। मैने उसकी हरकत देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ है तब पीडिता रोने लगी उसने रोकर बताया कि सबीला मुझे घर से बुलाकर अपने घर ले गयी थी। वहां पर अभियुक्त इब्राहीम पहले से ही मौजूद था उसने मुझे डरा धमका कर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है और मुझे छुरी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने यह भी बताया था कि जब बलात्कार हो रहा था तो वहां पर सबीला भी मौजूद थी और उसने मेरा मुंह दबा रखा था ताकि मैं चिल्ला ना सकू फिर मैं सबीला को यह कहने कि तुमने मेरी ननद के साथ ऐसा क्यों किया तो वह मेरे साथ झगडे पर उतारू हो गयी। मैने घटना के बारे में इसलिए किसी को नही बताया था ताकि झगडा ना हो सके। पीडिता घर पर गुमसुम रहने लगी तब मेरे पति व ससुर के दबाव देने पर पीडिता ने सारा वाका मेरे ससुर व परिवार वालो को बताया तब मेरे ससुर ने रिपोर्ट थाना गंगोह में दर्ज करया था।'' उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि ''जिस दिन की मैने घटना बताई है उसके एक महीने बाद पीडिता ने अपने पिता व भाई को यह घटना वाली बात बतायी थी तथा उसके पिता पीडिता को लेकर थाने गये थे, जिस दिन मेरी ननद को सबीला बुलाकर ले गयी थी वह करीब पौन घन्टे बाद वापस आ गयी थी, जब सबीला, पीडिता को बुलाने आयी थी तब घर मैं व जेठानी पीडिता की भाभी (y) थे। मेरे पति व जेठ उस समय काम पर गये थे। ससुर घर पर ही थे। उस समय दवाई लेने गये थे। मुझे ध्यान नही है मेरे ससुर दवाई लेकर किस समय आये।

पीडिता के आने के बाद आ गये थे। लेकिन समय मेरे ध्यान नही है। पीडिता के बताने पर मैं व मेरी जेठानी मुलजिमान के घर थे। लगभग दो–तीन बजे का समय रहा होगा। इब्राहीम व सबीला घर पर ही मिले थे। मेरी व मेरी जेठानी का मुलजिमान के साथ काफी कहा सुनी व झगडा हुआ था। काफी लोग इकटठा नही हुये थे। मौहल्ले पडोस के दो–चार लोग आग गये थे। मेरी ताई व चार–पांच अन्य लोग थे, जो लोग आये थे वे गांव के ही झगडा इसी बात को लेकर हुआ था। दोनो पति पत्नि ने मेरी ननद के साथ बुरा काम किया था। आधा घंटे करीब झगडा हुआ था। हम कहन सुनन कर घर वापस आ गये थे। जब मेरी ननद घर आयी बेहोश नही थी जब हमारा मुलजिमान से झगडा हो राह था मेरे ससुर नही आये थे। हमारे घर पहुंचने के पांच–सात मिनट बाद आये थे, जब पीडिता घर पर आयी थी मैने उसकी चोटे नही देखी थी लेकिन वह ठीक से चल फिर नही रही थी। मैने उसके शरीर पर कहीं भी खून खराबा नही देखा था। मेरे ससुर मेरी ननद, पीडिता को डाक्टर के पास नही ले गये थे क्योंकि हमने उन्हें कुछ नही बताया था। अगर कोई व्यक्ति पीडिता को उस समय गांव के डाक्टर के पास ले जाने की बात कहता है तो वह झूठा बोलता है। पीडिता ने मुझसे अपने साथ हुई घटना के बारे में हम दोनो भाभियो को बता दिया था, लेकिन मैने व मेरी जेठानी ने इस बाबत अपने पति लोगो व ससुर को नही बताया था। जब एक महीने तक पीडिता ने खाना–पीना छोड दिया तब सभी घर वालो के कहने पर पीडिता ने इस घटना के बारे में बताया था। तब भी मेरे पति व जेठ थाने नही गये थे ना ही मैं थाने गयी ना ही मेरी जेठानी थाने गयी।" जहां एक ओर उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि जब अभियुक्ता सबीला पीडिता को बुलाने आयी थी तब घर में उक्त साक्षी एवं उसकी जेठानी उपस्थित थी। मेरे पति व जेठ उस समय काम पर गये थे। ससुर घर पर ही थे। वहीं दुसरी ओर पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गय है कि जिस दिन की यह घटना है उस दिन मेरे घर पर मेरे भाई व मेरी भाभियां नही थी और मेरे पिता भी गांव में गये हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अतः इस बिन्दु पर साक्षी संख्या–3 व पीडिता के बयानो में गम्भीर विरोधाभास प्रतीत होता है। साक्षी संख्या–3 के बयानो से स्पष्ट है कि घटना के तुरन्त बाद पीडिता द्वारा उसी दिन लगभग दो–तीन बजे उक्त साक्षी व उसकी जेठानी अभियुक्तगण के घर गये व अभियुक्तगण से कहा सुनी व झगडा हुआ। उस समय आस पडोस के दो–चार लोग आ गये थे, जिसमें साक्षी की ताई व चार–पांच अन्य लोग भी थे। यह झगडा करीब आधा घटें चला था। उक्त साक्षी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब पीडिता घर पर आई तब वह बेहोश नही थी। जब उक्त साक्षी का अभियुक्तगण से झगडा हुआ उसके कुछ देर बाद ससुर अर्थात वादी मुकदमा घर पर आ गये थे। उक्त साक्षी द्वारा पीडिता के शरीर पर कोई चोट नही देखी गयी। साक्षी द्वारा पीडिता के शरीर पर कोई खून खराबा नही देखा गया। उस समय पीडिता को वादी मुकदमा डाक्टर के पास नही ले गये थे। जहां एक ओर पीडिता द्वारा अपने बयान में खुद को बेहोश होना व चोटो के कारण खून से लतपथ होने का कथन किया गया और इस तथ्य के साक्षी साक्षी संख्या– 3 व 4 को बताया गया। वहीं दुसरी ओर साक्षी संख्या–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि उसने पीडिता को घटना के बाद चुटैल नही देखा। अगर कोई व्यक्ति पीडिता को उस समय गांव के डाक्टर के पास ले जाने की बात कहता है तो वह झूठा बोलता है। अतः साक्षी संख्या–3 द्वारा पीडिता द्वारा किये गये कथन की घटना के बाद कि वह प्राईवेट डाक्टर के पास गयी थी स्वयं झूठा बता दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी संख्या–3 द्वारा जहां एक ओर यह कथन किया गया है कि घटना के तुरन्त बाद पीडिता द्वारा उक्त साक्षी को घटना के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी दे दी गयी थी और वो एवं साक्षी संख्या–4 अभियुक्तगण से झगडा करने उनके घर पर गयी थी। वहीं दुसरी ओर अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया कि यदि उक्त साक्षीगण को बलात्कार जैसी गम्भीर अपराध की सूचना पहले से ही थी तो उसके बाद भी साक्षी द्वारा इस संबंध में कोई खुलासा अपने परिवारजन व पुलिस से क्यों नही किया गया। साक्षी संख्या–3 का यह कथन कि उसने अपने पति व ससुर को केवल झगडे की वजह से यह बात नही बताई ताकि वह नैर्सगिक प्रतीत नही होती हैं। उक्त साक्षी का सामान्य आचरण यह होना चाहिए था कि बलात्कार जैसी गम्भीर घटना की सूचना होते ही अपने परिवारजन या पुलिस को सूचित किया जाता। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में जहां एक

ओर यह कथन किया गया है कि पुलिस ने मेरा बयान लिया था। इस घटना के 20–22 दिन बाद घर पर मेरा बयान हुआ था। वहीं दुसरी ओर साक्षी संख्या–7 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि यदि साक्षी संख्या–3 द्वारा अपना बयान 20–22 दिन बाद मेरे द्वारा लिये जाने की बात बताती है तो वो गलत बयान करती है। अतः साक्षी संख्या–3 व साक्षी संख्या–7 के बयान परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते है।

42. साक्षी संख्या–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त सबीला घटना वाले दिन पीडिता को बुलाकर अपने घर ले गई थी, जब आधे–पोन घंटे बाद पीडिता घर वापस आयी तो वह डरी सहमी थी वह चल नही पा रही थी। उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि जब पीडिता घर पर आई तो उक्त साक्षी संख्या–3 घर पर ही थी। परन्तु पीडिता द्वारा स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन घटना के समय पीडिता घर पर अकेली थी एवं जब वह बलात्कार की घटना के बाद घर पर आयी तो बेहोश हालत में थी। अतः साक्षी संख्या–4 व पीडिता के बयानो में परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है। उक्त साक्षी द्वारा पीडिता को घटना के बाद चुटैल व खून से लतपथ नही देखा गया एवं उक्त साक्षी द्वारा पीडिता को घटना के बाद बेहोश हालत में भी नही देखा गया। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के विपरीत यह कथन किया गया कि जब अभियुक्ता सबीला पीडिता को बुलाने आयी थी तो इस बात की जानकारी उसको नही है, साक्षी संख्या–3 को होगी। उक्त साक्षी को सम्पूर्ण जानकरी साक्षी संख्या–3 से हुई है। उक्त साक्षी को साक्षी संख्या–3 द्वारा दो–तीन दिन बाद बताई। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि घटना के संबंध में उसे ध्यान नही कि उसके द्वारा पीडिता से कोई पूछताछ की गयी या नही साक्षी संख्या–3 को पता होगा। उक्त साक्षी द्वारा पीडिता को किसी डाक्टर के पास ले जाने की जानकारी से भी इन्कार कर दिया गया। अतः उक्त साक्षी के बयान स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है एवं विश्वसनीय विश्वसनीय प्रतीत नही होते है।

43. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्य के समस्त साक्षीगण अर्थात साक्षी संख्या–1, 2, 3 व 4 के बयानो का विधिवत परिशीलन किया गया। उक्त साक्षीगण के बयानो एवं मुख्य परीक्षा के अवलोकन उपरान्त न्यायालय यह पाता है कि तथ्य के समस्त साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास है। साक्षी संख्या–1, 3 व 4 बलात्कार की घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है। पीडिता और अन्य साक्षियो के बयान में आपस में एक दुसरे के बयानो का समर्थन नही करते है। पीडिता के बयानो की विश्वसनीयता पर अन्य साक्षीगण के बयानो पर प्रश्नचिन्ह लगता है। पीडिता द्वारा बताई गयी कथित बलात्कार की घटना के संबंध में पत्रावली पर कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

अवधार्य बिन्दु–1 के संबंध में बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में बलात्कार की घ टना की पुष्टि मैडिकल प्रपत्रो एवं पुष्टिकारक साक्ष्यो द्वारा नही होती है।

44. पीडिता द्वारा अपने बयानो में कथन किया गया है कि उसके साथ बलात्कार की घटना के समय विरोध करने पर उसके शरीर पर खरोंच व नील के निशान पड गये थे। मेरी कमर में, कंधो पर खून निकला था। मेरे कपडे खून से सन गये थे। साथ ही पीडिता द्वारा यह भी कहा गया कि घटना के बाद वह बेहोश हो गयी थी और उसे उसके परिवार वाले डाक्टर के पास ले गये थे। पीडिता द्वारा किये गये उक्त कथनो के समर्थन में चोट आने का कोई भी मैडिकल प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नही किया गया है, अभियोजन द्वारा जो मैडिकल प्रदश क–6 व प्रदर्श क–7 जिसको साक्षी संख्या–6 द्वारा साबित किया गया है, वो घटना से एक माह बाद का है। साक्षी संख्या–6 डा0 मनोरमा गोपाल ने उक्त मैडिकल प्रपत्रो के बारे में कथन किया गया है कि मैडिकल के समय पीडिता द्वारा बताया गया कि उनकी पडोसन सबीला बुलाकर अपने घर ले गई थी और वहां पर चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके पति इब्राहीम ने उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता परीक्षण के समय नहाकर कपडे बदल चुकी थी तथा घटना एक माह पुरानी थी। बाहृय परीक्षण करने पर कोई चोट का निशान नही था। आंतरिक परीक्षण करने पर उलम हाईमन ओल्ड टोर्न एण्ड हिल था। कोई रक्त स्राव नही था तथा परीक्षण के समय वजाईना से अवसोमेल डिस्चार्ज है। डाक्टर द्वारा एफएसएल व पैथोलॉजी लैब हेतु आवश्यक सैम्पल लेकर नियमानुसार भेजे गये तथा आयु हेतु एक्सरे एडवाईज किया गया व पैथोलॉजी लैब भेजे गये। मूल मैडिकल प्रपत्र व

सीएमओ द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर डाक्टर द्वारा सप्लीमैंट्री रिपोर्ट तैयार की गई। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैडिकल में जो अवसोमेल डिस्चार्ज लिखा है वह इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यह कहना गलत है कि यह केवल इन्फेक्शन के कारण ही हो। हाईमन ओल्ड टोर्न एण्ड हिल की जो राय मैडिकल में वर्णित है। यह घटना के 10–12 दिन बाद सामान्यतः डवलप हो जाती है। यह स्थिति कितने समय पहले से पीडिता को चली आ रही थी इस बारे में कोई राय व्यक्त नही की जा सकती। पीडिता के बयान में जो चाय में कुछ दिये जाने का कथन है चूंकि मैडिकल एक माह बाद का है। इसलिये इस संबंध में कोई राय नही दी जा सकती। पीडिता का डीएनए के संदर्भ में सैम्पल इत्यादि लेकर पुलिस को दिये गये। प्रस्तुत किये गये प्रपत्रो में पुलिस को हैण्ड ओवर किये जाने का उल्लेख मेरे सामने नही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर साक्षी संख्या–6 द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में डाक्टर द्वारा एफएसएल व पैथोलोजी लेब हेतु आवश्यक सैम्पल लेकर नियमानुसार भेजे गये थे। वहीं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पैथोलोजी रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गयी। मैडिकल प्रपत्र कागज संख्या प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया जाना साबित नही होता है। पीडिता द्वारा अपने बयान मे चोटे आने का कथन किया गया है, किन्तु साक्षी संख्या–3 व साक्षी संख्या–4 द्वारा पीडिता को आयी चोटो की पुष्टि अपने बयानो में नही की गयी है। जहां एक ओर पीडिता द्वारा यह कथन किया गया है कि बलात्कार की घटना के समय पीडिता ने सरलवार कमीज पहना हुआ था। अभियुक्त द्वारा उसके कपडे फाड दिये गये थे व उसको निर्वस्त्र कर दिया गया था। पीडिता के कपडे खून से सन गये थे। वहीं साक्षी सख्या–7 विवेचक द्वारा यह कथन किया गया है कि पीडिता ने मुझे कपडे फट गये हो व निर्वस्त्र कर दिया हो ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नही है। स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा अपने कथित फटे एवं खून से सने कपडे विवेचना के दोरान विवेचक को नही दिये और न ही विवेचक द्वारा ऐसे कोई कपडे विवेचना के दौरान लिये गये। अभियोजन द्वारा पीडिता के कथित तौर पर फटे व खून से सने कपडे न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत नही कराये गये। अतः न्यायालय यह पाता है कि बचाव पक्ष के उपरोक्त वर्णित तर्क कि प्रस्तुत प्रकरण में बलात्कार की घटना की पुष्टि मैडिकल प्रपत्रो एवं पुष्टिकारक साक्ष्यो द्वारा नही होती है, में बल प्रतीत होता है।

अवधार्य बिन्दु–1 के संबंध में बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी मुकदमा द्वारा मकान के कब्जे को लेकर रंजिशन व झूठा लिखाया गया है।

45. बचाव पक्ष द्वारा उक्त तर्क के समर्थन में साक्षी डी0डब्लू01 महताब को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया है। साक्षी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षाम में कथन किया है कि ''मुलजिम इब्राहीम व उसकी पत्नी को जानता हूं और मेरे ही गांव के है। इनका अपना मकान है। इस मुकदमे के वादी मुकदमा को भी जानता हूं। हमारे गांव के बडे काश्तकार है। इब्राहीम ने लगभग 15 साल पहले वादी मुकदमा से जमीन लेकर मकान बनाया था। इससे पहले इब्राहीम दौलतपुर रहा करता था। इब्राहीम ने जमीन का बैनामा उस समय नही कराया था। पीडिता का पिता ने पैसा लेकर कब्जा दे दिया था तथा बाद में जब कभी इब्राहीम चाहेगा बैनामा करने का बचन दिया था किन्तु सरकार की दस साल पहले आयी योजना में गरीब आदमियो के शौचालय बने थे। इब्राहीम के मकान में भी प्रधानमंत्री की योजना में शौचालय बना था। इब्राहीम ने अपने मकान में बिजली का कनेक्शन ले रखा है। इकराम के मन में बाद में फर्क आ गया था। उसने इब्राहीम के कहने से बैनामा ना करके इब्राहीम को घर से निकालने का दबाव दिया था। इसी कारण से झूठा मुकदमा इब्राहीम व सबीला के खिलाफ पुलिस से मिलकर दर्ज कराया। जबकि वादी की लडकी पीडिता के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इब्राहीम बाल बच्चेदार है। मजदूरी पेशा है। वादी मुकदमा बडा काश्तकार है, मजबूत आदमी है जो इब्राहीम से मकान छोडकर जाने का दबाव दे रहा है। गांव में हम सभी लोगो ने कई बार वादी को समझाया बुझाया था लेकिन वादी ने बिरादरी व पंचायत की कोई बात नही मानी। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे पास कोर्ट से कोई समन नही गया। मुझे इब्राहीम व सबिला गवाही हेतु लेकर आये थे। पुलिस ने मेरे से कोई पूछ–ताछ नही की थी और ना ही मैने थाने में जाकर कोई बात बताई। इकरारनामा जो जुबानी हुआ था लगभग पन्द्रह

साल पहले हुआ था। जब मुलजिम ने अपना मकान बनाया था। इब्राहीम ने वादी से बैनामा करने के लिये लगभग पांच साल पहले कहा था तभी से वादी बैनामा से इन्कार करता है। गांव में इस संबंध में पंचायत हुई थी। उसमें नवाब, जुल्फान व मुकर्रम आदि कई लोग शामिल थे। पंचायत में वादी ने किसी की बात नही मानी थी। वादी की लडकी पीडिता इब्राहीम के घर नही गई थी ना ही इब्राहीम ने उसे बुलाया था। इब्राहीम के मकान के पूरब में वादी का मकान व खेत है तथा उत्तर में सडक है, फिर वादी का मकान है। पश्चिम में सडक ताताहेडी है और दक्षिण में वादी का खेत व मकान है। मेरा मकान जंगल में है। सडक के बगल में है। जहां से इब्राहीम का मकान दिखता है। वादी की लडकी पीडिता को घटना वाले दिन इब्राहीम के घर जाते नही देखा। यह कहना गलत है कि मैं इब्राहीम का मेली जोली होने के कारण उसके हक में झूठी गवाही देने आया हूं।''

46. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कराये गये उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण व वादी के मध्य मकान को लेकर रंजिश चली आ रही है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य की पुष्टि की गयी है। अभियोजन को उक्त साक्षी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, जिसके उपरान्त अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से विधिवत प्रतिपरीक्षा की गयी। परन्तु अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नही आया जिससे उक्त साक्षी के बयानो पर प्रश्न चिन्ह लगता हो। साथ ही उक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वादी की लडकी के साथ ऐसी कोई घटना नही हुई। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि साक्षी के घर से अभियुक्त इब्राहीम का मकान दिखता है। घटना वाले दिन उक्त साक्षी द्वारा पीडिता को अभियुक्त इब्राहीम के घर से आते जाते नही देखा गया।

47. बचाव पक्ष द्वारा दिये गये उपरोक्त वर्णित समस्त तर्को एवं उनके निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा किये गये विधिवत परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अभियुक्तगण इब्राहीम व सबीला द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत बसाज होकर पीडिता के साथ बलात्कार करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अवधार्य बिन्दु–1 का निस्तारण अभियुक्त के पक्ष में व अभियोजन के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण अवधार्य बिन्दु–2 क्या अभियुक्तगण द्वारा पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गयी?

48. तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर में यह कथन किया है कि विपक्षीगण पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किये जाने के उपरान्त उसको धमकियां दी कि अगर तुने किसी को बताया तो तुझे जान से मार देगे, जिसके कारण वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचा और वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। उसको बलात्कार की घटना व कथित धमकी के बारे में पीडिता के द्वारा बताया गया था। बयान में साक्षी संख्या–1 ने भी उक्त साक्षी द्वारा अपनी तहरीर में किये गये कथनो का समर्थन किया गया, परन्तु वादी मुकदमा द्वारा स्पष्ट रूप से यह नही बताया गया कि यदि विपक्षीगण ने पीडिता को कथित बलात्कार की घटना के उपरान्त धमकियां दी तो उनके द्वारा क्या शब्द, अपशब्द व गाली इत्यादि दी गयी और न ही वादी मुकदमा द्वारा अपने बयानो में स्पष्ट तौर पर अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्यो को स्पष्ट रूप से बताया गया है। जहां एक ओर वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ चाकू से डरा धमका कर बलात्कार किया गया, वहीं दुसरी ओर पीडिता द्वारा अपने बयान 161द.प्र.सं. व 164सी.आर.पी.सी. में चाकू से डराने धमकाने के संबंध में कोई कथन नही किया है। साक्षी संख्या–2 द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा भी अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किये गये अपशब्द या कृत्यो के संबंध में स्पष्ट रूप से नही बताया गया। पीडिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना के समय उसने शौर मचाया था। उसने मुलजिम को मारपीट नही किया था न ही उसके कपडे फाडे थे। मुलजिम ने मेरे साथ मारपीट नही की थी। केवल धमकी दी थी। परन्तु इसके उपरान्त अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडिता द्वारा यह

भी कथन किया गया कि बलात्कार की घटना के विरोध करने पर खरोंच तथा कमर पर नीले निशान पड गये थे व कंधे से खून निकला था व कपडे सन गये थे। परन्तु साक्षी संख्या–2 के बयानो में धमकी व मारपीट को लेकर परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है। साक्षी संख्या–3 व 4 द्वारा भी कथित घटना के समय अभियुक्त द्वारा धमकी देने के संबंध में स्पष्ट तौर पर न्यायालय के समक्ष बयान नही दिया है। साक्षी संख्या–3 व 4 के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा धमकी के लिए इस्तेमाल किये गये शब्द, अपशब्द गाली गलौच इत्यादि का उल्लेख न्यायालय के समक्ष नही किया गया व साथ ही अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्यो के संबंध में स्पष्ट रूप से नही बताया गया। यह यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी संख्या–3 व 4 कथित बलात्कार व धमकी देने की घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है। साक्षी संख्या–7 द्वारा भी विवेचना के दौरान उसके समक्ष ामकी देने व डराने, धमकाने से संबंधित किसी कृत्य व शब्दो का उल्लेख विवेचना के दौरान नही किया गया व स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने नही बताया गया है।

49. वर्तमान प्रकरण में अवधार्य बिन्दु संख्या–2 के निर्धारण करते समय अवधार्य बिन्दु–1 में उल्लेखित तर्क भी प्रासंगिक प्रतीत होते है। प्रस्तुत घटना में अभियोजन द्वारा प्राथमिकी देरी से दर्ज कराने व तहरीर एवं साक्षीगण के बयानो में परस्पर विरोधाभास होने का स्पष्टीकरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत नही किया गया है। साथ ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण के बयानो में गम्भीर विरोधाभास भी दर्शित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अवधार्य बिन्दु–2 के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्षी न्यायालय के सामने परीक्षित नहीं कराया गया है। साथ ही साक्षी संख्या–7 विवेचक द्वारा भी प्रस्तुत प्रकरण में अवधार्य बिन्दु–2 अर्थात अभियुक्तगण द्वारा पीडिता को धमकी दिये जाने के संबंध में साक्ष्य एकत्र नही करे गये और न ही अभियोजन द्वारा इस संबंध में साक्ष्य न्यायालय के समक्ष साबित कराया गया। अतः अवधार्य बिन्दु–2 का निस्तारण अभियुक्तगण के पक्ष में व अभियोजन के विरूद्ध किया जाता है।

निस्तारण अवधार्य बिन्दु–3 क्या अभियोजन द्वारा साक्ष्य के आधार पर अपना वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

50. उपरोक्त वर्णित अवधार्य बिन्दु–1 व 2 में उल्लेखित तथ्य एवं परिस्थितियो के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कराये गये साक्ष्य तहरीर में उल्लेखित घटना का समर्थन नही करते है। वादी मुकदमा द्वारा जो तहरीर न्यायालय के समक्ष साबित कराई गयी है, उसमें किये गये कथनो के समर्थन में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय व पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया। प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर में किये गये कथनो के समर्थन में साक्षी संख्य–1 के द्वारा न्यायालय के समक्ष जो बयान अंकित कराये गये है उन बयानो से घटना से संबंधित वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नही होती है। साक्षी संख्या–1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में विद्यमान गम्भीर प्रकृति की कमियां अभियोजन कथानक को कमजोर बनाती है। साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा प्रस्तुत प्रकरण में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है। उसके द्वारा तहरीर व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान पीडिता के द्वारा बताई गयी घटना एवं परिस्थितियो के आधार पर दिये गये है। परन्तु साक्षी संख्या–2 पीडिता द्वारा दिये गये बयान धारा 164सी.आर.पी.सी. व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान एवं साक्षी संख्या–1 के बयानो में परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है। साक्षी संख्या–3 व 4 के संबंध में अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नही कराया गया कि उक्त दोनो साक्षीगण घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित थे या नही। जहां एक ओर साक्षी संख्या–1 द्वारा साक्षीगण 3 व 4 की उपस्थिति घटनास्थल पर नही बताई गयी। वहीं दुसरी ओर साक्षी संख्या–2 द्वारा यह कथन किया गया कि घटना के तुरन्त बाद साक्षी संख्या–3 व 4 से मिली थी। साक्षी संख्या–3 व 4 के बयान स्वयं में विरोधाभासी प्रतीत होते है, जिनका समर्थन अन्य साक्षीगण द्वारा नही किया गया है। साक्षी संख्या–4 द्वारा यह कथन किया गया है कि उसको घटना की जानकारी साक्षी संख्या–3 से हुई थी। अतः साक्षी संख्या–3 व 4 के बयान विश्वसनीय प्रतीत नही होते है। प्रस्तुत प्रकरण में मैडिकल प्रपत्रो द्वारा भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है। साक्षी संख्या–7 विवेचक के बयानो में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही किया गया है जिससे घ टना की पुष्टि होती हो या अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता हो। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यो से

प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा निष्पक्ष, गहन तथा वैज्ञानिक ढंग से विवेचना नही की गयी है, जिस कारण प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यो का समुचित अन्वेषण नही हो सका। साक्षी संख्या–6 के बयानो से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना के बाद एफएसएल एवं डीएनए सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये। परन्तु अभियोजन द्वारा एफएसएल एवं डीएनए से संबंधित आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराई गयी है।

51. वर्तमान प्रकरण में अवधार्य बिन्दु संख्या–1, 2 व 3 के निर्धारण के समय की गयी तथ्यात्मक एवं परिस्थितिजन्य विवेचना तथा उसके समर्थन में दिये गये कारणो के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा साक्ष्य के आधार पर अपना वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार अवधार्य बिन्दु–3 का निस्तारण अभियुक्तगण के पक्ष में व अभियोजन के विरूद्ध किया जाता है।

52. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त **इब्राहीम** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 376,120बी,506 भा0दं0सं0 व अभियुक्ता **सबीला** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0 युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपित अपराध से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

53. अभियुक्त **इब्राहीम** को **सत्र वाद सं0 1410/2020 मु0अ0सं0 463/2020** अन्तर्गत **धारा–376,120बी,506 भा0दं0सं0** व अभियुक्ता **सबीला को** अन्तर्गत **धारा– 506 भा0दं0सं0** थाना गंगोह, जिला सहारनपुर में लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

54. अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उन्मोचित किया जाता है।

55. अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुपालन में पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव इसी धनराशि की दो–दो जमानते पूर्व में दिनांक 27.05.2025 को दाखिल कर चुके है, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

56. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः 12.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 12.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.03 13:18:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court